



## राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJBIL 2000/1717.  
J.P.C./3588/02/2003-05  
RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

श्रावण 8, शुक्रवार, शाके 1926— जुलाई 30, 2004  
Sravana 8, Friday, Saka 1926—July 30, 2004

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि ।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 28, 2004

संख्या प. 8 (ग) (46)नियम/डीएलबी/93/2016:— राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 90 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नगर निगम, जयपुर द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (1) के खण्ड (ए.सी.) के अन्तर्गत बनाये गये संलग्न जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) उपविधियां, 2004 स्वीकृत करती है ।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 90 की उप-धारा (1) के खण्ड (ए.सी.) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर, एतद्वारा उपविधियां बनाता है, नामतः:-

### जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) उपविधियां, 2004

1. शीर्षक, सीमा एवं प्रभाव:- (क) ये उपविधियां नगर निगम, जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां, 2004 कहलावेगी ।

(ख) ये उपविधियां राजस्थान सरकार से स्वीकृत होकर राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी ।

(ग) ये उपविधियां जयपुर नगर निगम की समस्त सीमा में प्रभावशील होंगी ।

2. शाब्दिक परिभाषाएं:- जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होगी:-

(क) "महापौर" से तात्पर्य नगरनिगम के महापौर से है ।

(ख) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम की धारा 73 (3) के अन्तर्गत नगर निगम की गठित वित्त समिति के अध्यक्ष से है ।

(ग) "अनुज्ञा पत्र" (लाईसेंस) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले या प्रदान किये गये अनुज्ञापत्र से है ।

(घ) "अनुज्ञापत्रधारी" (लाईसेंस) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, तथा इसमें इसका अभिकर्ता प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित है ।

(ङ) "आयुक्त" से तात्पर्य जयपुर नगर निगम के उस अधिकारी से है जो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निगम द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ।

(च) "नगर निगम सूचना पट्ट" से अभिप्रेत निगम द्वारा निर्धारित पट्ट से है जो किसी भी प्रकार के सूचना पत्र, विज्ञापन, वात विपत्र, (होर्डिंग) आदि लगाने अथवा चिपकाने के लिये निगम द्वारा निश्चित किया गया हो ।

(छ) "निगम" से अभिप्रेत जयपुर नगर निगम से है ।



(ज) "विज्ञापन" से अभिप्रेत ऐसे पट्ट या सूचना पट्ट फ्लैकार्ड, हस्त विपत्र, रोलिंग्स आदि चालित विज्ञापन, बैनर, वाल पेन्टिंग, प्रतीक चिन्ह (एम्बलम) चल वाहनों पर विज्ञापन व होर्डिंग्स आदि से है जो किसी भवन, भूमि दीवार या आकाश, चल-अचल वाहन/वस्तुएं पर प्रदर्शित हो तथा जो किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त हो जो किसी फर्म/एजेन्सी/व्यक्ति/संस्था/उत्पाद आदि का नाम व विज्ञापन प्रदर्शित करे।

- (झ) "परिष्कृत क्षेत्र" (सोफिस्टीकेटेड एरिया) से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र से है जो लाइसेंसिंग आथोरिटी द्वारा विज्ञापन समिति की राय से निर्धारित किया जावे।
- (य) "विज्ञापन समिति" से अभिप्रेत उस समिति से है जिसका गठन निर्वाचित बोर्ड द्वारा किया जावेगा एवं जिसे एतदर्थ इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ अधिनियम की शक्तियों का प्रत्यायोजन होगा।
- (र) "खतरनाक विज्ञापन प्रदर्श" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रदर्श से है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो परन्तु कोई विज्ञापन केवल दृश्य मात्र होने से खतरनाक नहीं होगा और कौनसा विज्ञापन खतरनाक माना जावे या खतरनाक नहीं माना जावे, इस बारे में निगम का निर्णय अन्तिम होगा।
- (ल) "लघु विज्ञापन पट्ट" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट्ट से है जो आकार में 12 फीट x 8 फीट से छोटे हों।
- (व) "विज्ञापन समीक्षा समिति" से अभिप्राय ऐसी समिति से है जो आगे इन उपविधियों में अंकित की गई है।
- (स) "निर्दिष्ट स्थान" से तात्पर्य वह स्थान होगा जो निगम द्वारा विज्ञापन प्रदर्श हेतु स्वीकृत किया जायेगा।
- (श) जो शब्द यहाँ परिभाषित नहीं किये गये हैं उनके सम्बन्ध में नगरपालिका अधिनियम, 1959 में दी गई परिभाषाएँ लागू होगी।

3. निषेध:- (1) निगम की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन किसी भवन, पुल, आकाश, मार्ग मय फुटपाथ, पेड, नगर प्राचीर, नगरद्वार बिजली या टेलीफोन के खम्बों, चल-अचल वाहनों/वस्तुओं पर अथवा किसी भी खुले स्थान पर बिना अनुज्ञापत्र के नहीं लगायेगा और ना ही चिपकायेगा/चित्रित/प्रदर्शित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के किसी भवन, पुल, मार्ग, नगर प्राचीर या नगरद्वार, बिजली व टेलीफोन के खम्बे, चलवाहन, डेयरी बूथों, कियोस्क एवं शुलभ सौचालय, बस सैल्टर्स, रोड डिवाइडर पर नहीं लिखेगा और ना ही चित्रित करेगा तथा ना ही अन्य किसी प्रकार की तस्वीरों द्वारा ऐसे संकेत प्रदर्शित करेगा कि जिनको कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति विज्ञापन होने का ख्याल करे। उपरोक्त कृत्य विज्ञापन प्रदर्श है या नहीं इसका निर्णय लाइसेंस आथोरिटी द्वारा किया जावेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति अथवा भवन व भूमि स्वामी, निजी भवनों के ऐसे स्थानों पर जो किसी सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देते हैं अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होते हों, किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के न चिपकायेगा न चिपकाने की स्वीकृति देगा न लिखेगा न लिखने की स्वीकृति देगा न चित्रित करेगा और न चित्रित करने की स्वीकृति देगा।

4. अनुज्ञापत्र प्राप्ति की प्रणाली:- (क) सार्वजनिक स्थलों के निर्दिष्ट स्थानों पर आईरन ऐंगिल का स्ट्रेक्चर लगाकर निगमद्वारा उपबन्धित रीति से विज्ञापन लाइसेन्सी द्वारा किया जा सकता है, जिसका लाइसेंस खुली नीलामी के आधार पर निर्णित किये जायेंगे, परन्तु यदि विज्ञापन समिति उचित समझें तो इन उपविधियों के अनुरूप मौजूदा विज्ञापन पट्टों का नवीनीकरण विज्ञापन समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है। यह नवीनीकरण गत वर्ष के शुल्क की राशि से 10 प्रतिशत बढ़ाई जाकर किया जावेगा। लेकिन तीन वर्ष में एक बार नीलामी अवश्य होगी।

(ख) वृक्ष कवच (ट्री गाडर्स), रोड डिवाइडरों, बस सैल्टरों, सुलभसौचालयों, डेयरी बूथों, फिल्म पोस्टरों बैनर पट्ट/छोटे विज्ञापन पट्ट/विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग्स) आदि पर विज्ञापन प्रदर्श लाइसेंस खुली नीलामी/बीओटी आधार पर किया जा सकेगा। जिनकी शर्तों का निर्माण विज्ञापन समिति द्वारा किया जावेगा। ट्री गाडर्स एवं रोड डिवाइडर्स की रैलिंग पर केवल छोटे वृत्ताकार अथवा आयताकार विज्ञापन की ही अनुमति दी जायेगी।

(ग) विद्युत चालित/इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन प्रदर्श निर्धारित स्थानों पर खुली नीलामी के द्वारा दिये जायेंगे।

(घ) यदि आवेदन पत्र नगरपालिका सूचना पट्ट पर चिपकाने के लिये प्रस्तुत हुआ है तो, आवेदक उतनी ही प्रतियाँ विज्ञापनों के साथ में प्रस्तुत करेगा, जितनी कि वह चिपकाना चाहता है और आवेदन पत्र में उन सब नगरनिगम



सूचना पट्टों का विवरण देगा जिन पर चिपकाने का वह इच्छुक है। लेकिन ऐसी सूचनाएँ अथवा विज्ञापन पत्र 60×80 सेंटीमीटर से अधिक बड़े नहीं होंगे। ऐसे विज्ञापन पत्र की शुल्क (फीस) प्रतिदिन 10 रुपये 60×80 सेंटीमीटर के हिसाब से होगी। विज्ञापन प्रदर्श अवधि 15 दिवस से अधिक नहीं होगी।

(ख) (1) इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ आयुक्त अनुज्ञापत्र प्राधिकारी (लाईसेन्सिंग अधोरिटी) होंगे।

(2) विज्ञापन समीक्षा समिति के अध्यक्ष महापौर होंगे एवं निर्मांकित सदस्य होंगे, जिसकी वर्ष में एक बार बैठक अवश्य बुलानी होगी:-

1. उपमहापौर, जयपुर नगर निगम।
2. विज्ञापन समिति के अध्यक्ष (जिन्हें नगर निगम द्वारा धारा 73 में विज्ञापन प्रदर्श से सम्बन्धित अधिकार प्रत्याभोजित किये हों)।
3. आयुक्त जयपुर नगर निगम जो सदस्य सचिव होंगे।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जयपुर नगर निगम।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम जयपुर।
6. पुलिस अधीक्षक यातायात या उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी।
7. अधिरापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
8. अन्य दो व्यक्ति जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम द्वारा मनोनीत किया जावे, जो समय-समय पर निगम द्वारा परिवर्तित किये जा सकेंगे।

5. इन उपविधियों की उपविधि 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र आयुक्त द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा, यदि-

- (1) आवेदन-पत्र में उपविधियों के क्लॉज संख्या 4 शर्तों की पूर्ति नहीं की गई है।
- (2) उसके दृष्टिकोण से विज्ञापन अनुचित या अवैधानिक है अथवा अशिष्ट या अश्लील है या महिला विरुद्ध अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है या नागरिकों के लिये कलेशकर है अथवा उनका प्रदर्शन उसकी दृष्टि में किसी भी अन्य प्रकार से अवांछनीय है या जिनमें अश्लील अथवा नग्न अथवा नशे के चित्र, संकेत या लिखित रूप में प्रदर्शित किये गये हैं।
- (3) विज्ञापन से जन शांति भंग होने का अन्देश हो या सार्वजनिक हित में अथवा जन कल्याण में बाधक हो।
- (4) विज्ञापन इन उपविधियों में निर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत है।

6. आयुक्त को अधिकार होगा कि वह अनुज्ञापत्र को बिना पूर्व सूचना दिये ऐसे विज्ञापन को चाहे वे मुद्रित हो या लिखित या चित्रित हों या विज्ञापित स्थानों पर लगाये गये हो जिनमें शांति भंग होने का अन्देश हो या अन्य प्रकार से सार्वजनिक हित या जनकल्याण में बाधक हो या उपविधि 5 के अन्तर्गत अस्वीकार किये गये या बिना स्वीकृति लगाये गये हों। यदि पट्ट निजी है और गन्दी व भद्दी हालत में रखा जाता है तो उसे हटा सकेंगे अथवा स्वच्छ करा सकेंगे। लाईसेन्सिंग अधोरिटी द्वारा हटाये गये विज्ञापन की क्षति का मुआवजा और हटाने का खर्चा जो भी वह निश्चित करेंगे, उस व्यक्ति से वसूल किया जावेगा जिसने व जिसका विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

7. प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्शन पट्ट आदि सामान्यतया उसी फर्म और व्यक्ति का माना जावेगा जिनका कि उस पर नाम अंकित है, जब तक कि सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा विपरीत प्रमाणित न हो जायें।

8. इन उप विधियों के अन्तर्गत प्रदान किये गये कोई भी अनुमति पत्र या अनुज्ञापत्र अहस्तान्तरणीय होंगे। विज्ञापनप्रदर्श पर फर्म या व्यक्ति का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।

एडवर्टाईजिंग एजेन्सीज/संस्थाएं भी अनुज्ञापत्र इन उपविधियों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकेंगे।

9. इन उपविधियों के अनुसार जो भी विज्ञापन अथवा चित्रित या लिखित विज्ञापन सूचनाएं आदि हटाई या पोतकर स्वच्छ की जावेगी उनके लिए निगम किसी प्रकार की क्षति की उत्तरदायी नहीं होगी और न वह शुल्क राशि ही लौटाई जावेगी जो स्वीकृति के लिए जमा की गई है एवं विज्ञापन के गिाने, हटाने व पावृत्ति के आपदा के कारण हुई आम जन/धन हानि की समस्त जिम्मेदारी विज्ञापनकर्ता की मानी जावेगी। इसके लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगी।



साविजनिक भाग पर हा विज्ञापन प्रदर्शन प्रदान किया जा सकता है। विज्ञापन प्रदर्शन प्रदान करने वाला व्यक्ति निजी भवन पर नगर निगम के सूचना पट्ट का निर्माण करना चाहता हो तो उसका किराया अथवा मुआवजा उचित निगम द्वारा निश्चित किया जाकर भवन के स्वामी, विज्ञापनकर्ता को दिया जा सकेगा। विज्ञापन प्रदर्शन हेतु भवन उपयुक्त के सम्बन्ध में विज्ञापनकर्ता को (भार वहन करने की क्षमता) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन पट्टों का साईज लाईसेंस अथोरिटी निश्चित करेंगे।

11. नगर निगम सूचना पट्ट पर विज्ञापन चिपकाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आयुक्त का कर्तव्य होगा कि-

- (1) यदि वह विज्ञापन को अनुमोदित करता है, तो आवेदक द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन किया जा सकेगा और प्रदर्शन किये जाने वाले विज्ञापन को अनुमोदित करेगा इसके लिए अनुमति जारी करेगा।
- (2) यदि वह विज्ञापन आदि को अस्वीकार कर देता है तो लिखित में कारण बताते हुए उसकी प्रतियां वापस आवेदक को लौटा देगा।
- (3) यदि लौटाई जाने वाली सूचनाओं की या विज्ञापनों की शुल्क जमा हो चुकी है, तो वह भी वापस लौटा दी जावेगी।

12. (1) प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्शन हेतु अलग प्रार्थना पत्र मय निर्धारित शुल्क के प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी व्यक्ति/एडवरटाइजिंग कम्पनी द्वारा एक से अधिक विज्ञापन प्रदर्शन हेतु इकजाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया जावेगा। प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ स्थान का रेखाचित्र जो किसी ड्राफ्टमैन द्वारा बनाया गया हो दिशा एक विशिष्ट स्थान से सही दूरी आदि की विस्तृत जानकारी हो, विज्ञापन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी लाईसेंसिंग अथोरिटी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार बताई गई हैं, संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति अथवा भवन का स्वामी अपने भवन की ऐसी दीवार/छत पर जो सार्वजनिक मार्ग से दिखाई दे अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होती हो किसी प्रकार का ग्लोसाईन/विज्ञापन बोर्ड लगाना चाहेगा अथवा किसी प्रकार का विज्ञापन लिखने, लिखवाने अथवा चित्रित करेगा या चित्रित करवाने के लिए आवेदन पत्र देगा उसे भी निम्न लिखित शर्तों पर अनुज्ञापत्र दिया जा सकेगा:-

- (1) निजी भूमि/भवनों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने की जो भी अनुमति प्राप्त करेगा वह निगम द्वारा निर्धारित शुल्क 41 रुपये प्रति वर्गफिट आवेदन के साथ पूरे वर्ष का जमा करवायेगा। इसमें तीन वर्ष पश्चात् नगर निगम जो उचित समझे उस अनुपात में वृद्धि राज्य सरकार की स्वीकृति से कर सकेगा।
- (2) यदि आवेदक स्वयं भूमि/भवन का मालिक नहीं है तो उसे भूमि/भवन के मालिक का ऐसे विज्ञापन लगाने का लिखित स्वीकृति पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (3) लाईसेंस की अधिकतम अवधि एक वर्ष रहेगी जो कि वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के आधार पर मानी जावेगी।
- (4) विज्ञापन दीवार पर ही लिखा या चित्रित किया जावेगा तो लाल, बैंगनी रंग से पेन्ट किया हुआ होने की सूरत में सफेद अक्षरों से और सफेद पेन्ट किया हुआ होने की सूरत में लाल रंग के अक्षरों से लिखना होगा अथवा निगम द्वारा निर्दिष्ट रंग व नाप का होगा।
- (5) ऐसे विज्ञापन की दीवार पर लिखाई अथवा दीवार पर चित्र ठीक और सुन्दर हालत में रखना होगा।
- (6) चल वाहनों पर विज्ञापन का शुल्क देकर विज्ञापन की स्वीकृति लाईसेंसिंग अथोरिटी से प्राप्त करनी होगी।
- (7) निजी सम्पत्तियों पर किया गया विज्ञापन किसी भी सूरत में सड़क की सतह से 18 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होगा।
- (8) निजी सम्पत्तियों पर अनुमत विज्ञापन की साईज लम्बाई 20' x ऊंचाई 20' से अधिक नहीं होगी। विज्ञापनों के मध्य न्यूनतम 1 फिट की दूरी रखनी होगी।



- (9) शहर की सौन्दर्यता को बनाये रखने के लिये निगम की शर्तों का पालन करने पर फिल्म पोस्टरों के विज्ञापन करने हेतु दरें अन्य विज्ञापन दरों से भिन्न होगी जो निगम बोर्ड द्वारा निश्चित की जावेगी एवं शर्तें विज्ञापन समिति निर्धारित करेगी।

### 13. प्रतिबन्धित:-

- (1) कोई भी विज्ञापन इस प्रकार प्रदर्शित नहीं किया जावेगा जिससे वाणिज्यिक संस्थान के ऊपर कंगूरों में कोई विकृति हो अथवा ये आच्छादित हो जावें।
- (2) कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान की छत की मुंडेर पर अनुमत नहीं किया जावेगा। वाणिज्यिक संस्थान अपना नाम पट्ट साईज 7'x1' निःशुल्क लगा सकेगा एवं इसमें किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्श नहीं करेगा।
- (3) कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान के आगे फुटपाथ अथवा सड़क की ओर झुका हुआ अनुमत नहीं किया जावेगा।
- (4) कोई भी विद्युत् चालित विज्ञापन मुख्य सड़क के चौराहों के केन्द्र से किसी ऊँचे भवन के सिर पर 40 फिट से कम दूरी पर नहीं लगाया जावेगा।
- (5) (I) विज्ञापन होर्डिंग्स किसी दोराहे, तिराहे या चौराहे में रुकावट करते हुए अनुज्ञापित नहीं किया जा सकेगा लेकिन सड़क सेंटर से दूरी हर हालत में 30 फीट से कम नहीं होगी।  
(II) विज्ञापन-होर्डिंग्स का साईज कम से कम 12 फिटx8 फिट का होगा व अधिकतम 20 फिटx20 फिट का होगा इसका निचला भाग जमीन की सतह से 7 फीट की ऊँचाई पर रहेगा तथा जमीन से 7 फीट की अधिक ऊँचाई नहीं ली जायेगी और जमीन से ऊँचाई 27 फिट लम्बाई 20 फिट से अधिक नहीं होगा।
- (6) कोई भी विज्ञापन किसी यातायात नियमों के अन्तर्गत प्रदर्शित चिन्ह या पट्ट में अंकित चिन्हों के रंग या नाम से पृथक होगा। ऐसे विज्ञापन द्वारा रुकावट नहीं डाली जावेगी।
- (7) कोई भी विज्ञापन प्रदर्श जो यातायात के सुगम एवं सुरक्षित संचालन में बाधक अथवा खतरनाक (हजार्डअश) हो अनुमत नहीं किया जावेगा, लेकिन विज्ञापन प्रदर्श केवल दृश्य मात्र से यातायात में बाधक/खतरनाक नहीं माना जायेगा।
- (8) कोई भी विज्ञापन नेशनल हाईवे अधिनियम, 1956 एवं यथा संशोधित के तहत प्राधिकृत अधोरिटी के द्वारा बनाये गये नियमों निबन्धनों के विरुद्ध नहीं होंगे।
- (9) किसी भी सड़क के आर-पार किसी प्रकार का कोई विज्ञापन न तो लटकाया जावेगा और न प्रदर्शित किया जावेगा जिससे कि सामान्यतः वाहन चालकों की दृष्टि उन पर पड़े।
- (10) नगर प्राचीर व दीवार, सार्वजनिक भवनों कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, राष्ट्रीय स्मारक, पुलों पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जावेगा।

14. मुक्तियां:- जनहित की दृष्टि से निम्न परिस्थितियों में विज्ञापन प्रदर्शित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा:- (1) शासकीय व विभागीय चेतावनी चिन्ह, यातायात निर्देश, मार्ग सूचक चिन्ह/मानचित्र किसी न्यायालय या सार्वजनिक अधिकारी जो अपने कर्तव्यों के पालन से कोई विज्ञापन पत्र, सूचना पत्र अन्य विज्ञापन प्रदर्शित करें या प्रदर्शित करने का निर्देश दें। उदाहरणार्थ सार्वजनिक न्यास द्वारा भूमि विक्रय सम्बन्धी विज्ञापन व पेट्रोल स्टेशनों पर पेट्रोल पम्प सम्बन्धी चिन्ह वृत्ताकार में 2 1/2' x 2 1/2' लगा सकेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञापन प्रदर्श में छूट प्रदान की जा सकेगी।

15. कोई व्यक्ति दुकान/व्यवसाय/भवन/दीवार/शटर पर अपना नाम/व्यवसाय का नाम प्रदर्श, अंकित करता है, चित्रित करता है तो उसे सफेद/काला/लाल रंग में चित्रित/अंकित किया जावेगा, किन्तु निर्धारित साईज 7'x1' से अधिक बोर्ड लगाने/चित्रित करने पर नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।



16. निम्नांकित हस्ताक्षर अध्याय सूचनाएँ निर्धारित स्थलों पर निःशुल्क चिपकाई जावेगी:-

- (1) वे समस्त सूचनाएँ जो नगरपालिकाओं से तथा राज्य सरकार से प्राप्त होगी ।
- (2) वे समस्त सूचनाएँ जो विशुद्ध धार्मिक हो अथवा जनहित में उचित प्रतीत होती हो अथवा उपविधि 15 में अंकित है ।

17. कोई भी व्यक्ति नगर निगम के सूचना पट्ट पर लगाये गये विज्ञापन व अन्य अनुज्ञापित विज्ञापन अधिका दोषार पर लिखे या चिपिन किये गये विज्ञापनों को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचावेगा ।

18. निगम के प्रत्येक क्षेत्रीय आयुक्त/राजस्व अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वे अपने क्षेत्र में इन उपविधि में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञापत्र प्राधिकारी को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं उपविधियों के अनुसार कार्यवाही करें ।

19. इन उपविधियों के उल्लंघन करने वाले दोगी व्यक्ति का चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार आयुक्त को होगा ।

20. इन उपविधियों के अन्तर्गत दिये गये किसी भी आदेश की अपील निगम को आदेश की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह की अवधि में की जा सकेगी । निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने का समय चाद दिया जावेगा, निगम इस उपनियम के अधिकार किसी कमेटी को दे सकेगा ।

21. न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापिस लेने अथवा सनसूती करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका सगसूती नियम, 1966 के प्रावधानानुसार होगा ।

22. इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन प्रमाणित होने पर सक्षम न्यायाधीश द्वारा 1000/- रुपये तक का अर्धदण्ड दिया जा सकेगा और उल्लंघन जारी रहने तक 200 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड भी दिया जा सकेगा ।

23. अर्धदण्ड की धनराशि न्यायालय में जमा हो जाने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 95 व 268 के अनुसार निगम कोप में हस्तान्तरित की जावेगी ।

24. सरकार/न्यायालय के द्वारा प्रतिबन्धित विज्ञापन स्थलों के अतिरिक्त लाइसेंस शुदा विज्ञापन बोर्ड को कोई अन्य विभाग नहीं हटा सकेगा ।

25. कोई भी व्यक्ति, संस्था, विभाग, रेलवे, परिवहन विभाग किसी भी विज्ञापन का प्रदर्श नगरनिगम सीमा क्षेत्र में सड़क/मार्ग से दिखाई देने की स्थिति में इन उपविधियों के अन्तर्गत शुल्क जमा करा कर अनापत्ति प्राप्त कर ही प्रदर्श करेगा । बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रदर्श को अवैध मानकर नगर निगम हटा सकेगा ।

26. विज्ञापन से सम्बन्धित कोई वाद होने पर विज्ञापन समिति में अपील की जा सकेगी एवं उसका निर्णय होने पर ही वह म्यूनिसिपल कार्लॉज के तहत आगे अपील कर सकेगा ।

27. निरसन और व्यावृत्तियाँ:- इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् नगर परिषद, जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ, 1974 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व में निरसित उपविधियों, उपनियमों, प्रस्ताव, विज्ञापितियाँ आदेश के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा बंशते कि ऐसा कार्य इन उपविधियों के प्रावधानों के विपरीत न हो । परन्तु ऐसा निरसन इस प्रकार निरसित उपविधियों के अधीन की गयी किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, दी गयी किसी शास्ति, समपहरण या किये गये किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा ।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,  
 शिव कुमार शर्मा,  
 उप शासन सचिव,  
 स्वायत्त शासन विभाग ।





सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 17, शनिवार, साके 1930-जून 7, 2008  
Jyaishta 17, Saturday, Saka 1930- June 7, 2008

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 4, 2008

संख्या प. 8 (ग)(46) नियम/एल.एस.जी./93/पार्ट II/07/858-नगर निगम, जयपुर ने नगर निगम, जयपुर विज्ञापन उपविधियां 2004 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 90 की उप-धारा (1) के खण्ड (ए-सी) के अन्तर्गत संशोधन कर नगर निगम, जयपुर विज्ञापन (संशोधन) उपविधियां, 2008 बनाई है। उक्त संशोधित उपविधियों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 90 (3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अनुमोदित/स्वीकृत किया जाता है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम सं. 38 सन् 1959) की धारा 90 की उपधारा (1) के खण्ड (ए)(सी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) उपविधियां, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

1. नाम व प्रभावशीलता :-

- यह उपविधियां जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां, 2008 कहलाएंगी।
- यह उपविधियां राज-पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होंगी।

2. "उपविधि" 2 में संशोधन :- "उपविधि" के खण्ड 2 में निम्न संशोधन किया जावेगा :-

(क) "उपविधि" के खण्ड (ज) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जावेगा-

"(ज) "विज्ञापन" से तात्पर्य ऐसे पट्ट या सूचना पट्ट प्लेकार्ड, हस्त विपत्र, रेखाचित्र, नाम पट्ट, विद्युत् चालित विज्ञापन, बैनर, प्रतीक चिह्न (एम्बलम) वालपेंटिंग चल वाहनों पर विज्ञापन व होर्डिंग्स आदि से है जो किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/व्यावसायिक संस्थान, भूमि, दीवार या आकार, चल वाहन/वस्तुओं पर प्रदर्शित हों तथा जो किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त हो जो किसी फर्म/एजेन्सी/व्यक्ति/ संस्था/उत्पाद आदि का नाम व विज्ञापन प्रदर्शित करें।"

(ख) "उपविधि" के खण्ड (ल) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जावेगा-

"(ल) "लघु विज्ञापन पट्ट" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट्ट से है जो आकार में 4 फीट X 50 फीट से अधिक ना हो।"

(ग) "उपविधि" के खण्ड (स) के पश्चात् निम्न प्रकार जोड़ा जावेगा-

"(स-क) विज्ञापन शुल्क से तात्पर्य जयपुर नगर निगम द्वारा विज्ञापन प्रदर्श हेतु लगाए गए शुल्क से है।

(स-ख) निर्धारित आवेदन-पत्र से तात्पर्य ऐसे आवेदन-पत्र से है जिसमें विज्ञापनकर्ता को अपना आवेदन/नवीनीकरण हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(स-ग) अस्थाई विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो कि सीमित अवधि हेतु अंम रास्तों, निर्माणाधीन भवनों, किसी त्यौहार, समारोह, प्रदर्शनी, राजनैतिक सभा विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के संदर्भ में दरवाजों, पोल पंलेग, होर्डिंग



(अस्थाई), मोबाइल विज्ञापन, सर्विस/डिलेवरी वेन के माध्यम से प्रदर्श करने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं।

- (स-घ) पंजीकृत एजेंसी से तात्पर्य ऐसी एजेंसी से है जो जयपुर नगर निगम सीमा में निजी भूमि/भवन, सरकारी भूमि या भवन पर विज्ञापन प्रदर्श करती है एवं इस प्रयोजनार्थ जयपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त जयपुर नगर निगम से रजिस्टर्ड है।
- (स-ङ) दिशा सूचक बोर्ड से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो निजी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान से संबंधित हो एवं अपने कार्यालय की स्थिति को निर्देशित करता हो।
- (स-च) विलम्बित (Abandoned) नवीनीकरण शुल्क से तात्पर्य ऐसी फीस लगाने से है जिसमें आवेदक द्वारा विज्ञापन पट्ट का नवीनीकरण का आवेदन-पत्र निर्धारित अवधि के पश्चात् लाइसेंस ऑथोरिटी को प्रस्तुत किया गया हो।
- (स-छ) इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जिसका संचालन विद्युत्, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, निओन साइन, ग्लोसाइन एल.ई.डी./एल.सी.डी. इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।
- (स-ज) विविध विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापनों से है जिनका चित्रण विज्ञापन पट्ट के अंदर विद्युत् बल्ब लगाकर, रोशन किए जावें, या इस तरह के विज्ञापन जोकि बहुकोणों से दर्शनीय हों एवं जिनका पठन सूर्य अस्त के पश्चात् भी हो सके जैसे:- ट्राइविजन एडवरटाइजमेंट (ट्राइएड), बेकलिट एडवरटाइजमेंट, इल्यूमिनिटेड, ग्लोसाइन/ न्योनसाइन इत्यादि।
- (स-झ) स्क्रोलर डिस्प्ले विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट्टों से है जोकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से चलित होते हैं एवं एक निर्धारित स्थान पर फिक्स किए जाकर स्क्रोलर डिस्प्ले द्वारा विभिन्न विज्ञापनों को प्रदर्श करते हैं।
- (स-ञ) यूपीपोल पर विज्ञापन प्रदर्श से तात्पर्य ऐसे होर्डिंग स्ट्रक्चर से है जोकि एक से अधिक आयरन एंगिल से तैयार नहीं किया जाकर एक ही स्टील पाईप पर आधार तैयार किया जाकर विज्ञापन प्रदर्श किया जाता है।
- (स-त) फुट ओवर ब्रिज विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो पदयात्रियों हेतु फुट ओवर ब्रिज एवं अण्डरग्राउण्ड मार्ग पर प्रदर्श किए जावें।
- (स-थ) गेन्ट्री विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो सड़क के ऊपर खम्भों के सहारे सड़क के आर-पार (एक्रोस दी रोड) यातायात को दृश्य होते हुए प्रदर्श किए जाते हैं।
- (स-द) अनाधिकृत विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे प्रदर्श विज्ञापनों से है जिन्हें गत वर्षों में लाइसेंस ऑथोरिटी द्वारा लाइसेंस दिया गया था मगर किन्हीं कारणवश समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया जाकर वर्तमान में भी विज्ञापन प्रदर्श किया जा रहा है एवं बिना सक्षम स्वीकृति के विज्ञापन प्रदर्श किये जा रहे हैं।
- (स-ध) स्वनिर्धारण योजना "एसएएस (एड)" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन जोकि राजकीय भूमि से पृथक् व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं। निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए स्वनिर्धारण योजना एवं नियमों के अंतर्गत प्रदर्श करने हेतु अनुमत होंगे।
- (स-न) बस शैल्टर्स से तात्पर्य बस में परिवहन हेतु यात्रियों के लिए ऐसे स्थान से है जहां पर यात्री बस के इंतजार के लिए एकत्र होते हैं। बस शैल्टर्स का साइज निगम द्वारा निर्धारित साइज का होगा। विज्ञापन जयपुर नगर निगम द्वारा अनुमत किए गए डिजाईन एवं माप के अनुसार होंगे।



- (स-ट) कियोस्क से तात्पर्य विजली के खम्भों पर लगने वाले विज्ञापन पट्टों से है। विज्ञापन पट्टों का आकार जयपुर नगर निगम द्वारा तय किए अनुसार होगा।
- (स-ठ) आकाशीय बैलून से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो जमीनी सतह से ऊपर आकाश में गुब्बारे अर्थात् गैस बैलून पर प्रदर्श किए जावें।
- (स-ड) मार्गों के सौन्दर्यीकरण से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन, जो रोड़ सौन्दर्यीकरण के अंतर्गत रोड़ डिवाइडर, सर्किल, तिराहे, फुटपाथ पर रैलिंग के सहारे, ट्री गार्ड पर या नियमों के अधीन स्वीकृत डिजाइनों द्वारा प्रदर्श हों।
- (स-ढ) पुलिस कियोस्क/बूथ पर विज्ञापन से तात्पर्य है कि यातायात कन्ट्रोल एवं यातायात से संबंधित निर्देश देने हेतु स्थापित कियोस्क/ बूथ/छतरियों आदि पर किए गए विज्ञापन जयपुर नगर निगम से लाइसेंस एवं विज्ञापन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् ही विज्ञापन प्रदर्श किए जा सकेंगे।
- (स-ण) जन सुविधाएं हेतु निर्मित सुविधा स्थलों पर विज्ञापन से तात्पर्य है कि ऐसे स्थान जो जनसुविधा हेतु निर्मित किए गए हैं जैसे:- ट्रांसमिशन टॉवर (मोबाइल फोन कंपनीज), सुलभ शौचालय, डेयरी बूथ, टेलीफोन बूथ, कम्प्यूटर/इंटरनेट बूथ, बैंक, ट्री गार्ड, कचरापात्र, पार्किंग/यातायात बेरिकेटस इत्यादि पर जयपुर नगर निगम में निर्धारित विज्ञापन शुल्क जमा कराने एवं लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही विज्ञापन प्रदर्श किए जा सकेंगे।
- (स-प) स्वविज्ञापन से तात्पर्य बहुमंजिली ईमारतों में बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्थित प्रतिष्ठानों की स्थिति प्रदर्श करने हेतु निर्देश पट्टीका बोर्ड सं है जिस पर संबंधित प्रतिष्ठान का नाम एवं ईमारत में उसकी स्थिति प्रदर्श होती हो। ऐसी पट्टीका सरकारी भूमि/फुटपाथ पर नहीं होगी।
- (स-फ) शोकेस (विण्डो) विज्ञापन से तात्पर्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर निर्मित शोकेस (विण्डो) में रखी विभिन्न वस्तुओं से है जिनसे विज्ञापन का आभास होता है जैसे:- शोकेस में रखे खिलोने, प्रीटींग कार्ड्स, गिफ्ट आईटमस् संबंधित प्रतिष्ठान में विक्रय किए जाने वाली वस्तुएं इत्यादि जो सार्वजनिक मार्ग से प्रदर्श होती हो।
- (स-ब) प्रदर्शनी स्थल से तात्पर्य ऐसे स्थल से है जहां विभिन्न प्रकार के सामानों का एक निश्चित स्थल पर प्रदर्शन/आयोजन किया जाता है।"

3. "उपविधि" 3 में संशोधन :- "उपविधि" 3 का (खण्ड 3) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगा :-

"(3) कोई भी व्यक्ति अथवा भवन व भूमि स्वामी, निजी भवनों के ऐसे स्थानों पर जो किसी सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देते हैं अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होते हों, किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के न चिपकायेगा न चिपकाने की स्वीकृति देगा, न लिखेगा, न लिखने की स्वीकृति देगा, न चित्रित करेगा और न चित्रित करने की स्वीकृति देगा। अर्थात् व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/ व्यावसायिक संस्थान के अलावा निजी भवनों पर विज्ञापन करना निषेध होगा।"

4. "उपविधि" 4 में संशोधन :- "उपविधि" 4 का (खण्ड क) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगा -

"(क) सार्वजनिक स्थलों के निर्दिष्ट स्थानों पर यूनिपोल, बैकलिट टावर, विडियोबॉल, ओवरहेड साइनेज (गेन्ट्री), बस शैल्ड्स, फुट ब्रिज, टोयलेट, हाई मास्क लाइट, पुलिस छत्री, टेलीफोन बूथ, डरटबीन, खम्भों पर लगने वाले कियोस्क, लघु विज्ञापन पट्ट बैनर एवं पोस्टर्स पुलिसियों पर फ्लॉवर पॉट, डिवाइडर/फुटपाथ पर ट्री गार्ड, लगाने के चयनित स्थान एवं समय-समय पर विज्ञापन प्रदर्श करने से सम्बन्धित आने वाली तकनीकी को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा उपबंधित रीति से अन्य प्रकार से



विज्ञापन लाइसेंस द्वारा किया जा सकता है, अनुमत किए गए विज्ञापनों के आकार-प्रकार एवं साइज का निर्णय नगर निगम द्वारा गठित विज्ञापन समिति द्वारा किया जाएगा। जिसका अनुमति पत्र खुली नीलामी के आधार पर निर्णित किये जायेंगे, परन्तु यदि विज्ञापन समिति उचित समझे तो इन उपविधियों के अनुरूप मौजूदा विज्ञापन पट्टों का नवीनीकरण विज्ञापन समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है। यह नवीनीकरण गत वर्ष के शुल्क की राशि से 10 प्रतिशत बढ़ाई जाकर किया जायेगा। लेकिन तीन वर्ष में एक बार नीलामी आवश्यक होगी। परम्परागत लगने वाले आयरन स्ट्रैक्चर्स के होर्डिंग नगर निगम द्वारा अनुमत नहीं किए जाएंगे। जयपुर नगर निगम द्वारा जयपुर नगर के सौंदर्यकरण को ध्यान में रखते हुए किन्हीं विशेष सड़कों/मार्गों/रास्तों/चौराहों/दोराहों/तिराहों के लिए बीओटी बेसिस पर चयन किया जाकर पूर्ण मार्ग को नीलामी द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन करने हेतु दिया जा सकेगा। विज्ञापन का आकार-प्रकार, साइज, ऊंचाई इत्यादि का निर्धारण जयपुर नगर निगम, विज्ञापन समिति द्वारा किया जायेगा।

5. "उपविधि" 10 में संशोधन :- "उपविधि" 10 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगा -

"(10) नगर निगम द्वारा निर्देशित स्थान अथवा किसी भी संस्थागत स्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/व्यावसायिक संस्थान जो कि सार्वजनिक मार्ग से विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे बशर्त कि स्वच्छ वायु एवं प्रकाश पर कुप्रभाव न पड़े।"

6. "उपविधि" 12 में संशोधन :- "उपविधि" 12 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगा -

"(12) (1) प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्श हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा अलग-अलग प्रार्थना-पत्र मय निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक आवेदक द्वारा एक से अधिक विज्ञापन प्रदर्श हेतु इकजाई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके आधार में प्रार्थना-पत्र खारिज किया जा सकेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान का स्वामी अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर, जो सार्वजनिक मार्ग से दिखाई दे अथवा किसी स्थान से प्रभावित होती हो किसी प्रकार का लघु विज्ञापन पट्ट (ग्लोसाईन, न्योन साईन, विज्ञापन पट्ट इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन, फ्लेक्स इत्यादि) लगाना चाहेगा आवेदन-पत्र आयुक्त अर्थात् लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को प्रस्तुत करेगा, जिसे निम्नानुसार विज्ञापन शुल्क जमा कराने पर अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकेगा:-

- किसी प्रकार के होर्डिंग स्ट्रैक्चर की स्वीकृति निजी भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नहीं दी जा सकेगी। निजी खाली भूखण्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहे तो नगर निगम में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम द्वारा अनुमत साइज डिजाइन का विज्ञापन प्रदर्श किया जा सकेगा। खाली भूखण्ड पर लगाये जाने वाले विज्ञापन की ऊंचाई सार्वजनिक भवनों, प्राचीरों एवं ऐतिहासिक महत्व की पुरातत्व इमारतों की ऊंचाई से ऊपर नहीं होगी। ऐसे समस्त प्रदर्श विज्ञापनों का शुल्क उस क्षेत्र की पिछले/अन्तिम वर्ष की निगम द्वारा नीलाम की गयी साइटों के औसत प्रति वर्ग फुट से आधी राशि होगी। नवीनीकरण भी इसी नीति द्वारा किया जायेगा।
- लघु विज्ञापन पट्ट की अधिकतम चौड़ाई 4 फीट एवं लम्बाई 50 फीट से अधिक नहीं होगी अर्थात् लघु विज्ञापन पट्ट व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सभानान्तर लगाने होंगे, लम्बवत नहीं लगाए जा सकेंगे।
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर केवल मंजिल दर मंजिल ही लघु विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेंगे। वेन्टीलेटर्स (दरवाजे, खिडकी, रोशनदान इत्यादि) खुले रखने होंगे अर्थात् वेन्टीलेटर्स के आगे लघु विज्ञापन पट्ट प्रदर्श कर अंपरुद्ध नहीं किए जा सकेंगे। बहुमंजिले व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनमें विज्ञापन प्रदर्श हेतु विशेष स्थान निर्माण के दौरान छोड़े गये हैं, उन स्थानों पर नगर निगम की, पूर्ण स्वीकृति से विज्ञापन प्रदर्श किये जा सकेंगे। ऐसे समस्त प्रदर्श विज्ञापनों का शुल्क उस क्षेत्र की



पिछले/अन्तिम वर्ष की निगम द्वारा नीलाम की गई साइटों के ओसत प्रति व.फु. से आधी होगी।

- (iv) व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर स्वयं के व्यवसाय का 4x50' तक लघु विज्ञापन पट्ट लगाने की जो भी अनुमति प्राप्त करेगा वह निगम द्वारा निर्धारित शुल्क 100/- रु. प्रति वर्ग फीट मुख्य मार्गों पर एवं अन्य रास्तों पर 50/- प्रति व.फु. आवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की राशि जमा करवाएगा। मुख्य मार्ग, अन्य मार्ग का निर्धारण विज्ञापन समिति द्वारा किया जायेगा। अपने प्रतिष्ठान में चल रहे व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के विज्ञापन प्रदर्श करने पर उस क्षेत्र की पिछले/अन्तिम वर्ष की निगम द्वारा नीलाम की गयी साइटों के ओसत प्रति वर्ग फुट से आधी राशि होगी। जिसकी अनुमति जयपुर नगर निगम से विज्ञापन प्रदर्श करने से पूर्व लेना आवश्यक होगा। साईज 4 फीट x 50 फीट से अधिक नहीं होगी।
- (v) अनुमति पत्र की अधिकतम अवधि एक वर्ष की रहेगी जोकि वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के आधार पर मानी जायेगी। अनुमति पत्र अवधि की न्यूनतम सीमा वित्तीय वर्ष की ही होगी।
- (vi) किसी भी प्रकार का विज्ञापन एवं सूचना निजी/सरकारी भवनों/प्राचीरों/दरवाजों/ ऐतिहासिक महत्व के स्मारक/सार्वजनिक पुल की दीवारों पर चित्रित/प्रदर्श करने की अनुमति नहीं होगी।
- (vii) कोई भी संस्था, विभाग, रेलवे, परिवहन विभाग, केन्द्रीय/राजकीय सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/संस्थाएँ अपने भवन की छत को छोड़ते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्वयं की भूमि पर नगर निगम की स्वीकृति से अपने विभाग से संबंधित सूचनाएं/विज्ञापन प्रदर्श कर सकेंगे जिसका आकार-प्रकार एवं डिजाइन भी नगर निगम से स्वीकृत करवाना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा BOT एवं अन्य ऐसी पद्धति से कराया गया किसी भी प्रकार का कार्य जिस पर विज्ञापन प्रदर्श हो नगर निगम की एन.ओ.सी. प्राप्त किये बिना नहीं करायेगा एवं BOT पर कराये जा रहे कार्य पर होने वाले विज्ञापन पर नियम 12(2)1 अनुसार विज्ञापन शुल्क देय होगा।
- (viii) चल वाहनों पर विज्ञापन शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

- (a) ऐसे वाहन जो वस्तु के उत्पादन द्वारा वस्तु के आयात-निर्यात में काम आते हैं उन पर लिखे गए विज्ञापन की दर 100/-रु. प्रति वर्ग फीट होगी।
- (b) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहन एवं इससे अनुबंधित वाहन/निजी सवारी बसें/टैम्पों आदि पर लिखे गए विज्ञापन की दर 100/-रु. प्रति वर्ग फीट होगी।
- (c) ऐसे वाहन जो विज्ञापन प्रदर्श हेतु ही निर्मित किए गए हैं, ऐसे वाहनों पर प्रदर्श विज्ञापन की दर 1100/-रु. प्रति वर्ग फीट होगी।
- (d) ऐसे वाहन/पशु/पशु वाहन जो उत्पाद को विक्रय की दृष्टि से रोड शो के उपयोग में आते हैं उनसे अधिकतम सात दिवस हेतु 50/-रु. प्रति वर्ग फीट की दर से विज्ञापन शुल्क लिया जाएगा परन्तु 7 दिवस से अधिक दिवस हेतु अगर रोड शो किया जाता है तो दर 100/-रु. प्रति वर्ग फीट होगी। परन्तु एक माह से अधिक रोड शो किये जाने की दशा में 1100/-रु. प्रति वर्ग फुट हिसाब से शुल्क देय होगा।

उपरोक्त दरें वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के लिए लागू होंगी। अनुमति पत्र की अवधि न्यूनतम सीमा वित्तीय वर्ष की ही होगी।



- (ix) आकाश में गैस बैलून द्वारा प्रदर्श विज्ञापनों का शुल्क 100/-रु. प्रति वर्ग फीट देय होगा। लाईसेंस अवधि की न्यूनतम सीमा वित्तीय वर्ष की ही होगी।
- (x) निगम द्वारा बैनर्स/फिल्मी पोस्टर्स/पोस्टर्स के लिए स्थान चयनित किए जाएंगे। निगम द्वारा चयनित स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्श हेतु नीलामी की जावेगी।
- (xi) गैर व्यवसायिक जैसे धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक, राजनैतिक सूचनाएं जयपुर नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लगाई जा सकेंगी, इनके लिए निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी:-निगम द्वारा चिह्नित एवं निर्धारित स्थानों पर निश्चित साईज के सूचना पट्ट लगाने हेतु आवेदनकर्ता को प्रदर्श करने वाली सूचना के साथ प्रथम 7 दिवस के लिए 50/-रु. का शुल्क प्रति साइट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। 7 दिन के पश्चात् अधिकतम 15 दिन के लिए 100/-रु. प्रति वर्ग फीट की दर से 7 दिन की अवधि पूर्ण होने से पूर्व राशि जमा करवाते हुए जयपुर नगर निगम से पूर्व अनुमति पुनः प्राप्त करनी होगी। 15 दिन से ज्यादा समयावधि नहीं बढ़ाई जा सकेगी।
- (xii) जयपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित एवं चिह्नित स्थानों पर ऐसे विज्ञापनकर्ता भी विज्ञापन 100/-रु. प्रति वर्ग फीट निगम से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगा सकेंगे जो कि निकट भविष्य में अपने प्रतिष्ठानों का उदघाटन/शुभारम्भ कर रहे हैं। यह अनुमति अस्थाई रूप से अधिकतम 7 दिवस के लिए होगी।
- (xiii) जयपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित विभिन्न कंपनियों के पेट्रोल पम्पों पर जयपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित डिजाइन, साईज, आकार-प्रकार के अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञापन ही प्रदर्श किये जा सकेंगे जिनकी दर 100/- प्रति वर्गफीट प्रति वर्ष होगी। विज्ञापन करने से पूर्व निगम से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।
- (xiv) दीपावली, ईद, क्रिसमस, तीज, गणगौर, राजस्थान समारोह, जयपुर समारोह आदि त्यौहारों पर बाजारों में विशेष सजावट पर व्यापार मण्डलों/संस्थाओं व्यक्ति विशेष द्वारा सार्वजनिक मार्गों/रास्तों पर सामूहिक सजावट के दौरान किये जाने वाले विज्ञापनों के लिए विज्ञापन समिति निर्धारित विज्ञापन शुल्क तय करेगी जो व्यक्ति देकर एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही विज्ञापन करा सकेगा। यह सुविधा शहर की चार दिवारी में भी देय होगी। सजावट विज्ञापन अवधि 7 दिवस से अधिक नहीं होगी।
- (xv) शासकीय/अर्द्धशासकीय उपक्रम व विभागों इत्यादि को भी उक्त उपविधियों की अनुपालना करनी होगी।

उपरोक्त वर्षिक दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

7. "उपविधि" 13 में संशोधन :-

- (क) "उपविधि" 13 के खण्ड 5 (ii) को विलोपित किया जाता है।
- (ख) "उपविधि" 13 के खण्ड 5 (ix) को विलोपित किया जाता है।
- (ग) "उपविधि" 13 के खण्ड 10 के पश्चात् (11) निम्न प्रकार जोड़ा जावेगा-

"(11) किसी भी व्यक्ति को शहर की चारदीवारी के अंदर किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करने, चित्रित करने या चित्रित करवाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।"



भाग 6 (क)

राजस्थान राज-पत्र, जून 7, 2008

9(7)

- 8. "उपविधि" 18 में संशोधन - "उपविधि" 18 में शब्द "राजस्व अधिकारी" के पश्चात् एवं शब्द "क" के पहले शब्द "/राजस्व निरीक्षक/सहा. राजस्व निरीक्षक" जोड़ा जावेगा।
- 9. "उपविधि" 25 में संशोधन - "उपविधि" 25 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित की जावेगी :-

"25 कोई भी व्यक्ति, संस्था, विभाग, रेल्वे, परिवहन विभाग, केन्द्रीय/राजकीय सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/संस्थाएँ अपने भवनों पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में विज्ञापन नहीं कर सकेंगे।

अपितु उपरोक्त विभागों/संस्थाओं द्वारा अपनी प्रिमिसेज में ऐसे विज्ञापन प्रदर्श किए जा सकेंगे जो सार्वजनिक भवनों/मार्गों/पुलिया/मैदानों/पाकों या सार्वजनिक स्थानों से नहीं दिखते हों, मात्र उनके प्रिमिसेज के अंदर ही प्रदर्श होते हों।"

आज्ञा से,  
 ओ. पी. हर्ष,  
 उप शासन सचिव,  
 स्वायत्त शासन विभाग,  
 राजस्थान, जयपुर।

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



**नीलाम/नवीनीकरण यूनिपोल जनवरी 2021 की स्थिति  
मालवीय नगर जोन, ग्रेटर**

14

क्र.सं.	पुरानी साइट सं.	न्यू साइट सं. (मालवीय नगर)	साईज	स्थान का विवरण					
1	MDZ-01	MNZ-01	16x8	टॉक रोड़, अजमेरी गेट एम.जी.डी. की स्कूल की दीवार के समानांतर।	फरवरी नीलामी 2018-19 एन.एस. 6,70,000	प्रथम नवीनी. 2019-20 एन.एस. 7,37,000	ई-ऑक्शन मार्च 2020 राज.पत्रिका 7,75,850	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह  01.04.2020 से 30.09.2021 तक
2	MDZ-03	MNZ-02	16x8	टॉक रोड़, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी.स्कूल की दीवार के पास बने स्लीप लाईन के कोने पर साईट सं. 2 के पास दीवार के समानांतर।	ई-ऑक्शन नीलामी 2018-19 नवम्बर राज. पत्रिका 9,12,130	प्रथम नवीनी. 2019-20 नवम्बर राज.पत्रिका 10,03,343	-	30.11.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.05.2021
3	MDZ-04	MNZ-04	16x8	टॉक रोड़, उपरोक्त के सामने स्लीप लाईन पर, महारानी कॉलेज की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर वि.प.न.1।	फरवरी नीलामी 2018-19 पायोनियर 10,50,000	प्रथम नवीनी. फरवरी 2019-20 पायोनियर 11,55,000	द्वितीय नवीनी. जनवरी 2020-21 पायोनियर 12,70,500	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह  30.09.2021
4	MDZ-06	MNZ-05	16x8	अशोक मार्ग, जय क्लब की दीवार के समानांतर, फुटपाथ पर चौराहा देखते हुये।	-	-	ई-ऑक्शन मार्च 2020 एन.एस. 9,56,145	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह  01.04.2020 से 30.09.2021 तक
5	MDZ-14	MNZ-07	16x8	टॉक रोड़, नारायण सिंह तिराहा, तोतूका भवन की दीवार के पास, फुटपाथ पर, अजमेरी गेट की ओर से समानांतर वि.प.न 1।	-	-	ई-ऑक्शन नवम्बर 2019-20 राज.पत्रिका 14,76,000	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  30.06.2021
6	MDZ-19	MNZ-08	16x8	टॉक रोड़, उपरोक्त साईट से थोड़ा आगे, सवाई मानसिंह विद्यालय के सामने, दीवार के सहारे फुटपाथ पर समानांतर।	-	-	ई-ऑक्शन मार्च 2020 पायोनियर 14,66,800	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह  01.04.2020 से 30.09.2021 तक
7	CLZ-125	MNZ-11	30x15	टॉक रोड़, नेहरू बाल उद्यान के उत्तरी पश्चिमी की कम्पाउण्ड वाल के पास बनी दुकानों के पास फुटपाथ पर।	-	-	ई-ऑक्शन मार्च 2020 राज.पत्रिका 25,38,850	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह  01.04.2020 से 30.09.2021 तक



8	MDZ-96	MNZ-13	30x15	टॉक रोड़ सौम्य मार्ग के आईलैंड के कोने पर।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 23,01,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2018-19 एन.एस. 25,31,100	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 27,84,210	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
9	CLZ-124	MNZ-14	30x15	सहकार मार्ग लक्ष्मी मंदिर तिराहे के उत्तरी-पश्चिमी की ओर बने पार्क के कोने पर।	—	—	ई-ऑक्शन मार्च 2020 एन.एस. 30,09,850	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 01.04.2020 से 30.09.2021 तक
10	CLZ-100	MNZ-15	30x15	टॉक रोड़, आरओबी के पास, टॉक फाटक जाने वाले रास्ते पर ट्रांसफार्मर के पास गोयल ज्वैलर्स के सामने।	—	ई-ऑक्शन मार्च 2019 एन.एस. 26,02,000	प्रथम नवीनी. जनवरी 2020-21 एन.एस. 28,62,200	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 30.09.2021
11	MDZ-77	MNZ-16	30x15	गांधीनगर स्टेशन रोड़, आरओबी से पश्चिम की ओर रेलवे कम्पाउन्ड की दीवार के पास, हाजरी गाह के सामने।	—	—	ई-ऑक्शन मार्च 2020 एन.एस. 35,01,525	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 01.04.2020 से 30.09.2021 तक
12	MDZ-76	MNZ-17	30x15	गांधीनगर स्टेशन रोड़, आरओबी से पूर्व की ओर रेलवे कम्पाउन्ड की दीवार के पास, अजमेरी गेट देखते हुये।	—	ई-ऑक्शन मार्च 2019 एन.एस. 27,71,000	प्रथम नवीनी. जनवरी 2020-21 एन.एस. 30,48,100	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 30.09.2021
13	MSZ-73	MNZ-18	30x15	टॉक रोड़, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते के दक्षिणी तरफ फुटपाथ पर टॉक पुलिया देखते हुये।	ई-ऑक्शन नीलामी मई 2018 एन.एस. 23,55,000	प्रथम नवीनी. मई 2019 एन.एस. 25,90,500	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 28,49,550	30.06.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.12.2021
14	MDZ-84	MNZ-20	30x15	जे.एल.एन.मार्ग मुकबधिर स्कूल के दक्षिणी गेट के पास।	—	ई-ऑक्शन नीलामी 2018-19 नवम्बर एन.एस. 28,20,250	प्रथम नवीनी. नवम्बर 2019-20 एन.एस. 31,02,275	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
15	MDZ-91	MNZ-21	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, सी.टी.पी. कार्यालय के पास, बसशैल्टर के दक्षिणी ओर।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 25,51,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2018-19 एन.एस. 28,06,100	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 30,86,710	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021

16	MDZ-56	MNZ-22	16x8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गांधी सर्किल यूनिवर्सिटी की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	-	-	ई-ऑक्शन मार्च 2020 एन.एस. 14,36,300	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 01.04.2020 से 30.09.2021 तक
17	MDZ-94	MNZ-23	30x15	जे.एल.एन. मार्ग, गांधी सर्किल, पुलिस आयुक्त (पूर्व) कार्यालय के पास फुटपाथ पर।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 24,01,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2018-19 एन.एस. 26,41,100	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 29,05,210	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
18	MDZ-81	MNZ-24	30x15	जे.एल.एन.मार्ग, राजस्थान कॉलेज के पास फुटपाथ पर।	फरवरी नीलामी एन.एस. 2018-19 26,21,000	प्रथम नवीनी. 2019-20 एन.एस. 28,83,100	द्वितीय नवीनी. 2020-21 एन.एस. 31,71,410	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 30.09.2021
19	MDZ-70	MNZ-25	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, महावीर उद्यान की दीवार के पास।	-	ई-ऑक्शन वर्ष 2018-19 नवम्बर एन.एस. 31,33,600	ई-ऑक्शन प्रथम नवीनी. 2019-20 नवम्बर एन.एस. 34,46,960	31.01.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.07.2021
20	MDZ-59	MNZ-28	16x8	जे.एल.एन.मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले, एम. एन.आई.टी. की कम्पाउण्ड की दीवार के समानान्तर, मालवीय नगर की ओर से वि.प.न. 1।	-	ई-ऑक्शन मार्च 2019 12,51,000 एन.एस.	प्रथम नवीनी. जनवरी 2020 एन.एस. 13,76,100	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 30.09.2021
21	MDZ-71	MNZ-29	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर आरओबी, से पूर्व की ओर रेलवे दीवार के पास, एम.एन.आई.टी देखते हुये।	-	ई-ऑक्शन मार्च 2019 31,51,600 एन.एस.	प्रथम नवीनी. जनवरी 2020 34,66,760 एन.एस.	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 30.09.2021
22	MDZ-72	MNZ-30	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर आरओबी, से पश्चिम की ओर रेलवे दीवार के पास, सरस डेयरी देखते हुये।	-	ई-ऑक्शन मार्च 2019 34,41,000 एन.एस.	प्रथम नवीनी. जनवरी 2020 37,85,100 एन.एस.	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 30.09.2021
23	MSZ-55	MNZ-31	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर आरओबी दक्षिण-पूर्व की ओर रेलवे दीवार के पास जवाहर सर्किल देखते हुये।	-	-	ई-ऑक्शन मार्च 2020 45,01,500 मै. पी.पी. डिजिटल्स	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 01.04.2020 से 30.09.2021 तक
24	MSZ-56	MNZ-32	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर आरओबी दक्षिण- पश्चिम की ओर रेलवे दीवार के पास जवाहर सर्किल देखते हुये।	-	-	अगस्त ई-ऑक्शन 2019-20 एन.एस. 38,75,420	31.08.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 28.02.2021
25	MSZ-46	MNZ-33	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने, पश्चिम की ओर।	-	ई-ऑक्शन नीलामी नवम्बर 2018-19 एन.एस. 27,45,050	प्रथम नवीनी. नवम्बर 2019-20 एन.एस. 30,19,555	31.12.2020	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021



26	MSZ-52	MNZ-35	30X15	टॉक रोड़, ई.पी. सिनेमा के सामने, प्रेम निकेतन अस्पताल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	—	ई-ऑक्शन सितम्बर 2018 एन.एस. 20,32,790	प्रथम नवीनी. अगस्त 2019 एन.एस. 22,36,069	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2021
27	MSZ-75	MNZ-36	30X15	टॉक रोड़ बी-2 बाईपास चौराहा दक्षिणी-पूर्वी और शमशान घाट की दीवार के पास।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 13,51,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2018-19 एन.एस. 14,86,100	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 16,34,710	31.12.2020	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
28	MSZ-49	MNZ-37	30X15	टॉक रोड़, आश्रम मार्ग के उत्तरी-कोने पर फुटपाथ पर।	—	ई-ऑक्शन नीलामी नवम्बर 2018-19 एन.एस. 19,98,750	प्रथम नवीनी. नवम्बर 2019-20 एन.एस. 21,98,625	31.12.2020	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
29	MDZ-95	MNZ-38	30X15	जगतपुरा मालवीय नगर रोड़, अण्डरपास अंजनी केफे के सामने।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 7,02,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2018-19 एन.एस. 7,72,200	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 8,49,420	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
30	MDZ-92	MNZ-39	30X15	जगतपुरा रोड़, बालाजी मोड़ टी-पोईंट।	नीलामी फरवरी 2018-19 राज.पत्रिका 8,11,000	प्रथम नवीनी. फरवरी 2019-20 राज.पत्रिका 8,92,100	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2020-21 राज.पत्रिका 9,81,310	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.08.2021
31	MDZ-99	MNZ-40	30X15	जगतपुरा रोड़, बालाजी मोड़ तिराहे पर	—	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 राज.पत्रिका 8,01,000	प्रथम नवीनी. अगस्त 2020 राज.पत्रिका 8,81,100	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2022
32	MDZ-33	MNZ-43	16X8	मालवीय नगर अपेक्स सर्किल के उत्तरी-पश्चिम कोने पर केलगिरी की ओर से विपन. 2	—	—	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 राज.पत्रिका 8,88,250	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2021
33	MDZ-98	MNZ-44	16X8	झालाना बाईपास रोड़ पर अपेक्स सर्किल से पहले एलेन की बिल्डिंग के पास फुटपाथ पर।	—	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 राज.पत्रिका 4,01,000	प्रथम नवीनी. अगस्त 2020 राज.पत्रिका 4,41,100	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2022
34	MSZ-69	MNZ-45	16X8	मालवीय नगर गौरव टॉवर के सामने निर्माणाधीन बिल्डिंग प्लॉट नं. 20-22, 42-45 कल्याण कॉलोनी के कोने पर।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 डिस्कवरी 5,32,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2018-19 डिस्कवरी 5,85,200	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 डिस्कवरी 6,43,720	31.12.2020	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
35	MSZ-70	MNZ-46	16X8	मालवीय नगर क्रिस्टल कोर्ट मॉल के सामने सीटी सेंटर के गेट के पास।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 पी.के. 7,01,000	प्रथम नवीनी. 2018-19 पी.के. 7,71,100	द्वितीय नवीनी. 2019-20 अक्टूबर पी.के. 8,48,210	31.12.2020	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021

36	MDZ-40	MNZ-47	30x15	शांति पथ, तिलक नगर, बिरला मंदिर पिछे, सर्किल के पास संजय कच्ची बस्ती और जाने वाले रास्ते के कोने पर।	-	-	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 एन.एस. 15,07,850	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2021
37	CLZ- 07	MNZ-48	16x8	सहकार मार्ग लक्ष्मी मंदिर के आगे, होटल जयपुर पैलेस के सामने, गैस गोदाम की ओर फुटपाथ पर, टॉक रोड़ देखते हुये।	-	-	ई-ऑक्शन जनवरी 2020-21 राज.पत्रिका 12,10,100	31.01.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.07.2021
38	CLZ- 12	MNZ-49	16x8	सहकार मार्ग, तेल भवन की दीवार के पास, सहकार भवन देखते हुये।	-	-	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 राज.पत्रिका 9,35,500	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2021
39	CLZ- 95	MNZ-50	30x15	परिवहन मार्ग, बाईस गोदाम पुलिया के नीचे रेलवे स्टेशन की ओर रेलवे दीवार के समानांतर दक्षिण दिशा।	फरवरी नीलामी 2018-19 एन.एस. 24,51,000	प्रथम नवीनी. 2019-20 एन.एस. 26,96,100	द्वितीय नवीनी. 2020-21 दिसम्बर एन.एस. 29,65,710	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.08.2021
40	CLZ- 101	MNZ-51	30x15	22 गोदाम, आरोबी के पास, आरोबी के दक्षिणी और परिवहन मार्ग पर फुटपाथ पर रेलवे बाउण्ड्रीवाल के पास।	फरवरी नीलामी 2018-19 एन.एस. 27,21,000	प्रथम नवीनी. 2019-20 एन.एस. 29,93,100	द्वितीय नवीनी. 2020-21 दिसम्बर एन.एस. 32,92,410	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.08.2021
41	CLZ- 63	MNZ-52	16x8	हवा सड़क, गीजगढ़ हाउस के आगे नन्दपुरी तिराहे के कोने पर फुटपाथ पर।	-	ई-ऑक्शन नीलामी 2018-19 नवम्बर एन.एस. 9,47,050	प्रथम नवीनी. नवम्बर 2019-20 एन.एस. 10,41,755	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
42	MDZ-47	MNZ-54	16x8	मोतीझंगरी रोड़, धर्मसिंह सर्किल पर, दक्षिणी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे, गोविन्द मार्ग की ओर से समानान्तर, वि.प.न.1।	-	-	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 राज.पत्रिका 10,14,250	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2021
43	MDZ-44	MNZ-55	16x8	राजापार्क, पंचवटी सर्किल सरकारी स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	-	ई-ऑक्शन नीलामी 2018-19 नवम्बर एन.एस. 9,19,750	प्रथम नवीनी. नवम्बर 2019-20 एन.एस. 10,11,725	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
44	MDZ-74	MNZ-56	30x15	हिम्मत नगर आरओबी, भास्कर के पास फुटपाथ पर जयपुर डेयरी प्लांट के गेट के पास, रेलवे दीवार के पास।	-	ई-ऑक्शन मार्च 2019 19,81,000 राज.पत्रिका	प्रथम नवीनी. जनवरी 2020-21 21,79,100 राज.पत्रिका	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 30.09.2021
45	MDZ-105	MNZ-57	16x8	रामनिवास बाग मसाला चौक के पास बने पम्प हाउस के बाहर फुटपाथ पर अल्बर्ट हॉल देखते हुए।	ई-नीलामी फरवरी 2018, पायोनियर 7,16,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2019-20 पायोनियर 7,87,600	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2020-21 पायोनियर 8,66,360	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.08.2022



46	MDZ-104	MNZ-58	30X15	एम.आई.रोड़ रामनिवास बाग मुख्य द्वार के पूर्व की ओर रामनिवास बाग में नवनिर्मित साइकिल स्टेण्ड के पास अल्बर्ट हॉल देखते हुए।	ई-नीलामी फरवरी 2018, एन.एस. 20,27,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 22,29,700	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2020-21 एन.एस. 24,52,670	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.08.2022
47	MDZ-65	MNZ-60	16X8	एम.आई.रोड़, जेम सिनेमा के सामने, रामनिवास बाग के गेट के पीछे, पश्चिमी ओर बाग की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	-	-	ई-ऑक्शन नवम्बर 2019-20 राज.पत्रिका 15,01,400	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
48	MDZ-64	MNZ-61	16X8	एम.आई.रोड़, रंगमंच के गेट के सामने, रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर।	-	-	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 प्रवीण पब्लिसिटी 15,90,650	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2021
49	MSZ-77	MNZ-63	16X8	टॉक रोड़ गोपालपुरा ओवरब्रिज के पश्चिम की ओर ओवरब्रिज देखते हुए फुटपाथ पर।	-	-	ई-ऑक्शन मार्च 2020 राज. पत्रिका 12,08,950	31.03.2021	कोविड राहत 6 माह 01.04.2020 से 30.09.2021 तक
50	MSZ-78	MNZ-64	16X8	गोपालपुरा बाईपास रोड़ पर महावीर नगर जाने वाले रास्ते के कोने पर पुलिस चौकी के बाहर फुटपाथ पर।	ई-ऑक्शन फरवरी 2018, पायोनियर 7,16,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2019-20 पायोनियर 7,87,600	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2020-21 पायोनियर 8,66,360	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.08.2022
51	MSZ-21	MNZ-65	16X8	गोपालपुरा आरोबी से उत्तरी ओर विश्वविद्यालय पुरी गेट के पास।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 6,28,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2018-19 एन.एस. 6,90,800	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 7,59,880	31.12.2020	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
52	MSZ-27	MNZ-66	16X8	गोपालपुरा आरोबी से उत्तरी ओर विश्वविद्यालय पुरी गेट के पास।	-	-	ई-ऑक्शन नवम्बर 2019-20 एन.एस. 7,65,700	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
53	MSZ-13	MNZ-67	16X8	टॉक रोड़, दुर्गापुरा आरोबी के पास।	-	ई-ऑक्शन 2019-20 जुलाई एन.एस. 4,88,300	प्रथम नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 5,37,130	31.07.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.01.2022
54	MSZ-22	MNZ-68	16X8	टॉक रोड़, दुर्गापुरा आरोबी के पास।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 6,30,000	प्रथम नवीनी. 2018-19 एन.एस. 6,93,000	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 762,300	31.12.2020	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
55	MDZ-106	MNZ-69	30X15	बजाज नगर रोड़ खादी ग्रामोद्योग संस्था के बाहर फुटपाथ पर टॉक पुलिया आरोबी देखते हुए।	-	ई-नीलामी फरवरी 2019, एन.एस. 10,06,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2020-21 एन.एस. 11,06,600	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.08.2021

**नीलाम/नवीनीकरण यूनिपोल जनवरी 2021 की स्थिति**  
**झोटवाड़ा जोन (अपडेट), ग्रेटर**

क्र.सं.	पुरानी साईट सं.	न्यू साईट सं. (झोटवाड़ा जोन)	साईज	स्थान का विवरण					
1	CLZ-61	JHZ-01	16x8	वैशाली नगर, क्वींस रोड, प्रिंस मार्ग के सामने, मिलकट्टी की दीवार के सहारे की ओर समानान्तर, वि.प.नं. 2।	-	-	ई-ऑक्शन मार्च 2020 एन.एस. 12,51,415	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह  01.04.2020 से 30.09.2021 तक
2	CLZ-60	JHZ -02	16x8	वैशाली नगर क्वींस रोड, आम्रपाली तिराहे पर, मिलकट्टी की दीवार के सहारे।	-	-	ई-ऑक्शन मार्च 2020 राज.पत्रिका 12,10,650	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह  01.04.2020 से 30.09.2021 तक
3	CLZ-94	JHZ -03	16x8	क्वींस रोड, झारखंड महादेव तिराहे, पेट्रोल पंप के सामने, मिलकट्टी की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 राज.पत्रिका 8,58,000	प्रथम नवीनी. 2018-19 राज. पत्रिका 9,43,800	द्वितीय नवीनी. 2019-20 राज.पत्रिका दिसम्बर 10,38,180	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  30.06.2021 तक
4	CLZ-53	JHZ -04	16x8	वैशाली नगर, वैशाली सर्किल पर बने शोपिंग से. की ओर डेयरी के पास सर्किल देखते हुये।	-	-	ई-ऑक्शन नवम्बर 2019-20 एन.एस. 9,51,350	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  30.06.2021
5	CLZ-54	JHZ -05	16x8	वैशाली नगर, वैशाली सर्किल म.न. बी-285 के सामने दीवार के समानांतर सर्किल देखते हुये।	-	ई-नीलामी सितम्बर 2018 प्रवीण 7,83,210	प्रथम नवीनी. अगस्त 2019 प्रवीण 8,61,531	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.03.2021
6	CLZ-59	JHZ -06	16x8	वैशाली नगर नर्सरी सर्किल के पास, नेशनल हैण्डलूम के सामने फुटपाथ पर समानान्तर।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 7,65,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2018-19 एन.एस. 8,41,500	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 9,25,650	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  30.06.2021
7	CLZ-57	JHZ -07	16x8	वैशाली नगर नर्सरी सर्किल के उत्तरी कोने पर समानान्तर सर्किल देखते हुये, आम्रपाली सर्किल की ओर से वि.प.नं. 1।	-	-	ई-ऑक्शन नवम्बर 2019-20 एन.एस. 10,08,300	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  30.06.2021



8	CLZ-58	JHZ -08	16X8	वैशाली नगर नर्सरी सर्किल के उत्तरी कोने पर समानान्तर सर्किल देखते हुये, आग्रपाली सर्किल की ओर से वि.प.नं. 2।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 6,15,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2018-19 एन.एस. 6,76,500	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 7,44,150	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
9	CLZ-55	JHZ -09	16X8	वैशाली नगर आग्रपाली सर्किल के कोने पर।	-	-	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 एन.एस. 11,10,310	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2021
10	CLZ-111	JHZ -10	16X8	अजमेर रोड़, प्रिंस रोड़ के सामने, डॉ गहलोत के बंगले के पास बने भवन के बाहर फुटपाथ पर।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 7,00,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2018-19 एन.एस. 7,70,000	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 8,47,000	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
11	MSZ-80	JHZ -11	30X15	अजमेर रोड़, एक्सप्रेस हाईवे रोड़ चौराहे से पहले दक्षिणी-पूर्वी ओर।	ई-ऑक्शन फरवरी 2018-19 एन.एस. 8,01,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 8,81,100	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2020-21 एन.एस. 9,69,210	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.08.2022

**नीलाम/नवीनीकरण यूनिपोल जनवरी 2021 की स्थिति**  
**सांगानेर जोन (अपडेट), ग्रेटर**

क्र.सं.	पुरानी साईट सं.	न्यू साईट सं. (सांगानेर जोन)	साईज	स्थान का विवरण					
1	SNZ-63	SNZ-01	16x8	सांगानेर चौधरी पेट्रोल पंप से पहले फ्लाईओवर के पास	—	ई-ऑक्शन सितम्बर 2019 राज. पत्रिका 4,01,000	प्रथम नवीनी. अगस्त 2020 राज.पत्रिका 4,41,100	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2022
2	SNZ-53	SNZ-02	16x8	टोंक रोड़, सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पार्लर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर पुलिया देखते हुये।	ई-नीलामी मई-2018 एन.एस. 4,03,600	प्रथम नवीनी. मई-2019 एन.एस. 4,43,960	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 4,88,356	30.06.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.12.2021
3	SNZ-62	SNZ-03	16x8	टोंक रोड़, पिंजरापोल गोशाला के गेट के पास फुटपाथ पर।	ई-नीलामी मई-2018 पायोनियर 4,13,000	प्रथम नवीनी. मई-2019 पायोनियर 4,54,300	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 पायोनियर 4,99,730	30.06.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.12.2021
4	SNZ-40	SNZ-04	16x8	टोंक रोड़, हल्दीघाटी चौराहे से पहले पश्चिमी और टोंक रोड़ देखते हुये।	—	—	ई-ऑक्शन मार्च 2020 प्रवीण पब्लिसिटी 6,53,250	31.03.2021 तक	कोविड राहत 01.04.2020 से 30.09.2021 तक
5	SNZ-54	SNZ-05	16x8	टोंक रोड़, प्रताप नगर हल्दी घाटी मार्ग के चौराहे पर पूर्वी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर जयपुर देखते हुये।	—	—	ई-ऑक्शन मार्च 2020 एन.एस. पब्लिसिटी 8,00,847	31.03.2021 तक	कोविड राहत 01.04.2020 से 30.09.2021 तक
6	SNZ-42	SNZ-06	16x8	टोंक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के दक्षिणी कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.न.1।	ई-नीलामी सितम्बर एन.एस. 2018 एन.एस. 2,66,000	प्रथम नवीनी. एन.एस. अगस्त 2019 2,92,600	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 3,21,860	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2022



7	SNZ-44	SNZ-07	16x8	टॉक रोड़, सीतापुरा <b>EPIP</b> को जाने वाले रास्ते के दक्षिणी कोने पर टॉक रोड़ की ओर से वि.प.न.1।	ई-नीलामी मई-2018 राज.पत्रिका 3,23,600	प्रथम नवीनी. मई-2019 राज.पत्रिका 3,55,960	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 राज.पत्रिका 3,91,556	30.06.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.12.2021
---	--------	--------	------	---	--	--	---	---------------	-----------------------------------

**नीलाम/नवीनीकरण यूनिपोल जनवरी 2021 की स्थिति**  
**जगतपुरा जोन (अपडेट), ग्रेटर**

24

क्र.सं.	पुरानी साईट सं.	न्यू साईट सं. (जगतपुरा जोन)	साईज	स्थान का विवरण					
1	MDZ-86	JPZ-01	30x15	जगतपुरा आरओबी के पास, आरओबी की दीवार के पास, मालवीय नगर देखता हुआ पूर्वी ओर।	ई-नीलामी सितम्बर 2018 एन.एस. 10,17,000	प्रथम नवीनी. अगस्त 2019 एन.एस. 11,18,700	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 12,30,570	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.03.2022
2	MDZ-87	JPZ -02	30x15	जगतपुरा आरओबी के पास, रेलवे प्लैट के सामने, निर्माणाधीन मंगलम बाजार के कोने पर जगतपुरा देखते हुये पश्चिम की ओर।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 9,10,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2018-19 एन.एस. 10,01,000	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 11,01,100	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  30.06.2021
3	MDZ-93	JPZ -03	30x15	जगतपुरा आरओबी के पास, रेलवे प्लैट के सामने, निर्माणाधीन मंगलम बाजार के कोने पर मालवीय नगर देखते हुये पश्चिम की ओर।	नीलामी दिसम्बर 2018-19 एन.एस. 8,11,000	प्रथम नवीनी. 2019-20 एन.एस. 8,92,100	द्वितीय नवीनी. 2020-21 दिसम्बर एन.एस. 9,81,310	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह  31.08.2021
4	SNZ-61	JPZ -04	30x15	जगतपुरा आरओबी के पास, आरओबी की दीवार के पास, जगतपुरा देखता हुआ पूर्वी ओर।	ई-नीलामी मई-2018 एन.एस 10,01,000	प्रथम नवीनी. मई-2019 एन.एस. 11,01,100	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 12,11,210	30.06.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.12.2021
5	SNZ-64	JPZ -05	16x8	महल रोड, एस.के.आई.टी. जाने वाले मार्ग के दाईं ओर जीतु पान भण्डार के पास, विनायकइन आईसीआईसीआई बैंक के पास।	ई-नीलामी मई-2018 राज.पत्रिका 4,03,000	प्रथम नवीनी. मई-2019 राज.पत्रिका 4,43,300	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 राज.पत्रिका 4,87,630	30.06.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.12.2021
6	SNZ-65	JPZ -06	16x8	महल रोड, एस.के.आई.टी. जाने वाले मार्ग के दाईं ओर डेयरी बूथ के सामने फुटपाथ पर, पश्चिम दिशा।	ई-नीलामी मई-2018 राजपत्रिका 4,03,000	प्रथम नवीनी. मई-2019 राज.पत्रिका 4,43,300	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 राज.पत्रिका 4,87,630	30.06.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.12.2021
7	MSZ-60	JPZ -07	30x15	जवाहर सर्किल के पिछे ट्रामिनल 2 एयरपोर्ट रोड पर जय गुरुदेव सत्संग स्थल जाने वाले मार्ग पर एयरपोर्ट देखते हुये।	फरवरी नीलामी 2018-19 एन.एस. 20,11,000	प्रथम नवीनी. फरवरी 2019-20, एन.एस. 22,12,100	द्वितीय नवीनी. जनवरी 2020-21 एन.एस. 24,33,310	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह  30.09.2021



8	MSZ-61	JPZ -08	30x15	जवाहर सर्किल के पिछे ट्रमिनल 2 एयरपोर्ट रोड़ पर वेदविहार कॉलोनी के सामने फार्म हाउस के पास एयरपोर्ट देखते हुये।	-	ई-ऑक्शन नीलामी नवम्बर 2018-19 एन.एस. 22,91,800	ई-ऑक्शन प्रथम नवीनी. नवम्बर 2019-20 एन.एस. 25,20,980	31.01.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.07.2021
---	--------	---------	-------	---	---	--	--	---------------	--------------------------------

नीलाम/नवीनीकरण यूनिपोल जनवरी 2021 की स्थिति  
विद्याधर नगर जोन (अपडेट), ग्रेटर

26

क्र.सं.	पुरानी साईट सं.	न्यू साईट सं. (विद्याधर नगर)	साईज	स्थान का विवरण					
1	VDZ-26	VDZ-01	16x8	विद्याधर नगर,, गणपति टॉवर के पास।	ई-नीलामी सितम्बर 2018 एन.एस. 3,71,050	प्रथम नवीनी. अगस्त 2019 एन.एस. 4,08,155	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 4,48,970	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.03.2022
2	VDZ-25	VDZ-02	16x8	विद्याधर नगर,, नया खेड़ा के पास खण्डेलवाल टॉवर्स के पास चौराहे पर अग्रवाल केटर्स के पास, उत्तरी-पश्चिमी कोने पर।	-	-	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 राज.पत्रिका 5,96,320	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.03.2021
3	VDZ-22	VDZ-04	16x8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे पर, उत्तर-पूर्व बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.न. 2।	-	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 एन.एस. 4,61,960	प्रथम नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 5,08,156	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.03.2022
4	VDZ-21	VDZ-07	16x8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पॉइंट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न.2।	-	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 एन.एस. 5,17,460	प्रथम नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 5,69,206	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.03.2022
5	VDZ-50	VDZ-08	30x15	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के टी-प्याईट पर फुटपाथ पर फन सिनेमा देखते हुये	ई-नीलामी सितम्बर 2018 एन.एस. 9,00,150	प्रथम नवीनी. अगस्त 2019 एन.एस. 9,90,165	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 10,89,181	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.03.2022
6	VDZ-51	VDZ-09	16x8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के पश्चिमी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	-	-	ई-ऑक्शन जनवरी 2020-21 एन.एस. 4,64,100	31.01.2021	कोविड राहत 6 माह  31.07.2021
7	VDZ-18	VDZ-10	16x8	विद्याधर नगर फन सिनेमा वाली रोड़ पर दानाशिवम हॉस्पिटल के पास।	-	ई-ऑक्शन जुलाई 2019-20 एन.एस. 4,06,300	प्रथम नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 4,46,930	31.07.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.01.2022



8	VDZ-53	VDZ-11	16X8	विद्याघर नगर रोड़, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-दक्षिणी कोने के फुटपाथ पर।	-	-	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 पायोनियर 4,43,000	31.01.2021	कोविड राहत 6 माह 31.07.2021
9	VDZ-52	VDZ-12	16X8	विद्याघर नगर रोड़, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	-	-	ई-ऑक्शन जनवरी 2020-21 एन.एस. 4,42,100	31.01.2021	कोविड राहत 6 माह 31.07.2021
10	VDZ-19	VDZ-13	16X8	विद्याघर नगर, सिनेस्टार चौराहे के उत्तरी-पश्चिमी कोने पर।	ई-नीलामी सितम्बर 2018 एन.एस. 3,81,310	प्रथम नवीनी. अगस्त 2019 एन.एस. 4,19,441	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 4,61,385	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2022
11	VDZ-37	VDZ-14	16X8	विद्याघर नगर, फन सिनेमा रोड़ पर मंगलम युप बिल्डिंग के सामने।	ई-नीलामी सितम्बर 2018 एन.एस. 4,15,400	प्रथम नवीनी. अगस्त 2019 एन.एस. 4,56,940	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 5,02,634	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2022
12	VDZ-48	VDZ-15	30X15	खातीपुरा रोड़, खातीपुरा आरओबी के पास आरओबी के पश्चिम की ओर वार्ड नं. 9 कार्यालय के पास फुटपाथ पर।	-	-	ई-ऑक्शन मार्च 2020 राज.पत्रिका 20,51,483	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 01.04.2020 से 30.09.2021 तक
13	VDZ-60	VDZ-16	30X15	खातीपुरा रोड़, आरओबी के दक्षिणी- पश्चिमी ओर रॉयल कॉलोनाईजर की दीवार के पास।	-	ई-ऑक्शन मार्च 2019 एन.एस. 9,70,210	प्रथम नवीनी. जनवरी 2020-21 एन.एस. 10,67,231	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 30.09.2021
14	CLZ-117	VDZ-17	16X8	सिरसी रोड़, पांच्यावाला एम.डी. हार्डवेयर के पास फुटपाथ पर।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 3,12,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2018-19 एन.एस. 3,43,200	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 3,77,520	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
15	CLZ- 50	VDZ-18	16X8	सिरसी रोड़ आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड़ देखते हुये, सिरसी रोड़ तिराहे की ओर से वि.प. नं. 1।	ई-नीलामी सितम्बर 2018 राज.पत्रिका 5,45,170	प्रथम नवीनी. अगस्त 2019 राज.पत्रिका 5,99,687	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 6,59,656 राज.पत्रिका	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2022

16	CLZ- 51	VDZ-19	16x8	सिरसी रोड़ आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड़ देखते हुये, सिरसी रोड़ तिराहे की ओर से वि.प. नं. 2।	—	ई-नीलामी सितम्बर 2018 राज. पत्रिका. 5,36,700	प्रथम नवीनी. अगस्त 2019 राज.पत्रिका 5,90,370	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2021
17	CLZ- 52	VDZ-20	16x8	सिरसी रोड़, आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड़ देखते हुये सिरसी रोड़ तिराहे की ओर से वि. प.न. 3।	ई-नीलामी सितम्बर 2018 एन.एस. 4,50,760	प्रथम नवीनी. अगस्त 2019 एन.एस. 4,95,836	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 5,45,419	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2022
18	CLZ-116	VDZ-21	16x8	सिरसी रोड़, पांच्यावाला सैमसेन शोप के पास फुटपाथ पर।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 राज.पत्रिका 3,52,000	प्रथम नवीनी. 2018-19 राज.पत्रिका 3,87,200 दिसम्बर	द्वितीय नवीनी. 2019-20 राज.पत्रिका दिसम्बर 4,25,920	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
19	VDZ-65	VDZ-22	16x8	कालवाड़ रोड़, शहीद मंगेज सिंह पेट्रोल पम्प के पास न्यू ओ.पी. टेलर्स दुकान की दीवार के समानान्तर।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 राज.पत्रिका 3,51,000	प्रथम नवीनी. 2018-19 राज.पत्रिका 3,86,100 दिसम्बर	द्वितीय नवीनी. 2019-20 राज.पत्रिका दिसम्बर 4,24,710	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021



**नीलाम/नवीनीकरण यूनिपोल जनवरी 2021 की स्थिति  
मानसरोवर जोन (अपडेट), ग्रेटर**

क्र.सं.	पुरानी साईट सं.	न्यू साईट सं. (मानसरोवर जोन)	साईज	स्थान का विवरण					
1	MSZ-47	MSZ-01	30X15	गोपालपुरा आरोबी के पास आरोबी से दक्षिणी रेलवे बाउंड्रीवाल के पास बजरी मण्डी।	ई-ऑक्शन नीलामी नवम्बर 2018-19 एन.एस. 20,92,000	प्रथम नवीनी. अक्टूबर 2019-20 एन.एस. 23,01,200	द्वितीय नवीनी. अक्टूबर 2020-21 एन.एस. 25,31,320	30.11.2020	कोविड राहत 6 माह 31.05.2022
2	MSZ-57	MSZ-02	30X15	गोपालपुरा आरोबी के पास, आरोबी के दक्षिण और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास, उत्तरी और गोपालपुरा देखते हुये।	-	-	अगस्त ई-ऑक्शन 2019-20 एन.एस. 27,85,210	31.08.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 28.02.2021
3	MSZ-48	MSZ-03	30X15	गोपालपुरा आरोबी के पास, आरोबी के उत्तरी और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास।	ई-ऑक्शन नीलामी नवम्बर 2018-19 एन.एस. 20,58,000	प्रथम नवीनी. अक्टूबर 2019-20 एन.एस. 22,63,800	द्वितीय नवीनी. अक्टूबर 2020-21 एन.एस. 24,90,180	30.11.2020	कोविड राहत 6 माह 31.05.2022
4	MSZ-17	MSZ-05	16X8	गोपालपुरा बाईपास रोड़, गोपालपुरा स्कूल की दीवार के पास गोपालपुरा आरोबी देखते हुये।	-	ई-ऑक्शन मार्च 2019 राज.पत्रिका 6,91,500	प्रथम नवीनी. जनवरी 2020-21 राज. पत्रिका 7,60,650	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 30.09.2021
5	MSZ-40	MSZ-06	16X8	गोपालपुरा बाईपास गोपालपुरा रेलवे पुलिया से पहले रिद्धी-सिद्धी की तरफ सरकारी स्कूल के फुटपाथ पर।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 6,20,000	प्रथम नवीनी. 2018-19 एन.एस. 6,82,000	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2019-20 एन.एस. 7,50,200	31.12.2020	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
6	MSZ-04	MSZ-07	16X8	गोपालपुरा बाईपास रोड़, 10 बी स्कीम, के रोड़ के सोड़ानी स्वीट्स के कोने पर।	-	अगस्त 2019-20 ई-ऑक्शन एन.एस. 5,51,550	अगस्त 2020 प्रथम नवीनी. राशि एन.एस. 6,06,705	31.08.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 28.02.2022
7	MSZ-06	MSZ-08	30X15	गोपालपुरा बाईपास रोड़, रिद्धी-सिद्धी तिराहे के पास दक्षिणी ओर आरोबी देखते हुये।	-	ई-नीलामी सितम्बर 2018 एन.एस. 15,06,000	प्रथम नवीनी. अगस्त 2019 एन.एस. 16,56,000	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2021



8	MSZ-01	MSZ-09	16x8	गोपालपुरा बाईपास, परमहंस धाम के सामने दक्षिणी ओर आर.ओ.बी. देखते हुये।	-	ई-नीलामी सितम्बर 2018 प्रवीण पब्लिसिटी 8,35,970	प्रथम नवीनी. अगस्त 2019 प्रवीण पब्लिसिटी 9,19,567	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2021
9	MSZ-71	MSZ-10	30x15	गोपालपुरा बाईपास रोड़, रिद्धी-सिद्धी से थोड़ा आगे जयपुर चौपाटी के सामने।	नीलामी दिसम्बर 2017-18 एन.एस. 9,01,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2018-19 एन.एस. 9,91,100	द्वितीय नवीनी. 2019-20 दिसम्बर एन.एस. 10,90,210	31.12.2020	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
10	MSZ-79	MSZ-11	16x8	गोपालपुरा बाईपास रोड़, रिद्धी-सिद्धी से थोड़ा आगे जयपुर चौपाटी के सामने।	ई-ऑक्शन फरवरी 2018, पायोनियर 7,18,000	प्रथम नवीनी. दिसम्बर 2019 पायोनियर 7,89,800	द्वितीय नवीनी. दिसम्बर 2020 पायोनियर 8,68,780	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.08.2022
11	MSZ-05	MSZ-12	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहननगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पॉइंट पर।	-	-	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 राज.पत्रिका 7,41,250	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2021
12	MSZ-36	MSZ-14	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहन नगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पॉइंट पर।	-	-	ई-ऑक्शन जनवरी 2020-21 राज.पत्रिका 8,98,750	31.01.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.07.2021
13	MSZ-11	MSZ-15	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ महारानी फार्म जाने वाले रास्ते पर दक्षिणी स्लीप लाईन के पास ही वि.प.नं. 2।	-	-	ई-ऑक्शन अक्टूबर 2019-20 राज.पत्रिका 6,07,710	30.09.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.03.2021
14	MSZ-50	MSZ-16	30x15	महारानी फार्म गायत्री नगर जाने वाली रोड़ के सामने फुटपाथ पर।	-	ई-ऑक्शन नीलामी नवम्बर 2018-19 एन.एस. 13,01,750	ई-ऑक्शन प्रथम नवीनी. नवम्बर 2019-20 एन.एस. 14,31,925	31.01.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.07.2021
15	MSZ-53	MSZ-17	30x15	शिप्रापथ एस.एफ.एस. बी 2 बाईपास शिप्रापथ चौराहे के उत्तरी-पूर्वी कोने पर।	-	ई-ऑक्शन मार्च 2019 एन.एस. 13,71,000	प्रथम नवीनी. जनवरी 2020-21 एन.एस. 15,08,100	31.03.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 30.09.2021



16	MSZ-10	MSZ-18	16x8	मानसरोवर अग्रवाल फार्म एस.एफ.एस. चौराहे पर दक्षिणी-पूर्वी कोने पर।	-	-	ई-ऑक्शन जनवरी 2020-21 राज.पत्रिका 5,10,410	31.01.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.07.2021
17	MSZ-74	MSZ-19	30x15	न्यू सांगानेर रोड़ मानसरोवर बी-2 बाईपास एस.एफ. चौराहे पर।	ई-ऑक्शन नीलामी मई 2018 एन.एस. 9,55,000	प्रथम नवीनी. मई 2019 एन.एस. 10,50,500	द्वितीय नवीनी. अगस्त 2020 एन.एस. 11,55,550	30.06.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.12.2021
18	MSZ-08	MSZ-21	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी रोड़ मध्यम मार्ग चौराहा पर ही पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	-	-	ई-ऑक्शन नवम्बर 2019-20 राज. पत्रिका 5,45,500	31.12.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 30.06.2021
19	MSZ-09	MSZ-22	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी रोड़ मध्यम मार्ग चौराहे के दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर चौराहा देखते 0हुये।	-	-	ई-ऑक्शन जनवरी 2020-21 पायोनियर पब्लिसिटी 7,38,000	31.01.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.07.2021



निर्मित डिजिटल यूनिपोल (समूह में)  
मैसर्स टचवुड एन्टरट्राईजमेंट प्रा.लि.

क्र.सं.	स्थान का विवरण	नीलामी राशि	प्रथम नवीनी. राशि	नीलामी स्वीकृत राशि	अवधि	
1	जे.एल.एन. मार्ग, क्लार्क होटल के बाहर।	2,05,51,000 (समूह में 25)	2,26,06,100 (समूह में 25)	2,26,07,100 (समूह में 25)	31.07.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.01.2021
2	जे.एल.एन. मार्ग, ओ.टी.एस. सर्किल बिड़ला मंदिर देखता हुआ।					
3	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान कॉलेज के बाहर।					
4	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर।					
5	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास।					
6	जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मंदिर सर्किल।					
7	जे.एल.एन. मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल।					
8	जे.एल.एन. मार्ग, सूचना केन्द्र देखता हुआ।					
9	एम.आई.रोड़, सरावगी मेशन के सामने।					
10	रामबाग सर्किल, सुबोध कॉलेज।					
11	रामबाग सर्किल, टॉक रोड़ कार्नर।					
12	रामबाग सर्किल, सुबोध कॉलेज के पास।					
13	एम.आई.रोड़, अजमेरी गेट।					
14	एम.आई.रोड़, न्यू गेट।					

नोट :- पूर्व में 25 डिजिटल यूनिपोल थे जिनमें से 11 यूनिपोल हैरिटेज, नगर निगम में स्थानान्तरण हो गये है।

निर्मित यूनिपोल 14'x7'

क्र.सं.	स्थान का विवरण	राशि-विवरण	राशि-विवरण	राशि-विवरण	फर्म का नाम	अवधि
15	1. क्वींस रोड़, प्रिंस मार्ग के सामने, मिलवट्टी की दीवार के पास।	6,32,500 (नीलामी स्वीकृत राशि)	6,95,750 (प्रथम नवीनी.)	12,18,537 (नीलामी स्वीकृत राशि) (2019-20)	एन.एस.पब्लिसिटी	कोविड राहत 6 माह  01-04-2020 से 30.09.2021 तक



निर्मित टॉलेस्ट टॉवर (समूह में)

क्र.सं.	स्थान	फर्म	नीलामी राशि	प्रथम नवीनी. राशि	नीलामी राशि ई-ऑक्शन (2019-20)	लाईसेंस अवधि समाप्ति	
1	रामबाग सर्किल	मै. टच वूड एडवरटाईजमेन्ट प्रा.लि.	40,00,000	44,00,000	44,02,000 रु.	31.07.2020 तक	कोविड राहत 6 माह
2	भगत सिंह पार्क चौराहा						31.01.2021 तक

निर्मित सुलभ शौचालय

क्र.सं.	निर्मित सुलभ शौचालय साइट्स	राशि-विवरण	राशि-विवरण	राशि-विवरण	अवधि	
	(ग्रुप - सी) (समूह में)		9,00,000 (नीलामी स्वीकृत राशि) (समूह में) 6 एन.एस.पब्लिसिटी	14,01,000 (नीलामी स्वीकृत राशि) (समूह में) 6 एन.एस.पब्लिसिटी	31.01.2021 तक	कोविड राहत 6 माह  31.07.2021
1	जे.पी. फाटक के पास।	—				
2	बिरला मन्दिर के सामने।					
3	सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर।					
4	वुडलैण्ड पार्क, सन एण्ड मून, सीकर रोड़।					
5	आग्रपाली सर्किल वैशाली नगर।					
6	टोंक फाटक के पास, केन्द्रिय विद्यालय नम्बर -1, बजाज नगर।					
	(ग्रुप - डी) (समूह में)				30.06.2020 तक	कोविड राहत 6 माह  31.12.2021 तक
1	खातीपुरा तिराहे के पास।	7,01,000 (नीलामी स्वीकृत राशि) (समूह में) 4 एन.एस.पब्लिसिटी	7,71,100 (प्रथम नवीनीकरण) (समूह में) 4 एन.एस.पब्लिसिटी	8,48,210 (द्वितीय नवीनीकरण) (समूह में) 4 एन.एस.पब्लिसिटी		
2	जोशी मार्ग 31 नं. बस स्टेण्ड के पास, कालवाड़ रोड़।					
3	स्वर्ण जयंती पार्क पुराना विद्याधर नगर बस स्टेण्ड।					
4	रिद्धी-सिद्धी चौराहा, गोपालपुरा।					



: ऐलीवेटेड रोड के खंभे (समूह में)

फर्म का नाम – मैसर्स एन.एस.पब्लिसिटी

क्र. सं.	स्थान	संख्या	स्वीकृत राशि (2018-19)	प्रथम नवीनी. राशि (2019-20)	द्वितीय नवीनी. राशि (2020-21)	अवधि	
1	दुर्गापुरा ऐलीवेटेड रोड (टोंक रोड)	बेस कॉलम- 47 ऐलीवेटेड रोड पर खंभे -37 कुल खंभे - 84	29,25,000	32,17,500	35,39,250	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021	कोविड राहत 6 माह  30.09.2021

निर्मित बसशैल्टर्स (रोड़ वाईज समूह में)

35

क्र.सं.	स्थान का विवरण	राशि-विवरण	राशि-विवरण	राशि-विवरण	अवधि	
	जवाहर लाल नेहरू मार्ग					
1.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बांगड़ अस्पताल के बाहर।	61,71,000 (द्वितीय नवीनी.)  (समूह में)	66,99,000 (नीलामी स्वीकृत राशि) मै. राजस्थान पत्रिका  (समूह में)	73,68,900 (प्रथम नवीनी.) मै. राजस्थान पत्रिका  (समूह में)	01.02.2020 से 31.01.2021	कोविड राहत 6 माह  31.07.2021
2.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.के.लोन हॉस्पिटल के बाहर।					
3.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, उनियारा गार्डन के बाहर।					
4.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जेडीए के पास टाउन प्लानिंग के पास।					
5.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी के सामने।					
6.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कॉनोडिया कॉलेज के बाहर।					
7.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पोद्दार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सामने।					
8.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जवाहर कला केन्द्र के बाहर।					
9.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के बाहर।					
10.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के सामने।					
11.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे से 50 मी. दूर, मालवीय नगर की ओर <b>MNIT</b> के बाहर।					
12.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पेट्रोल पम्प के पास एमएनआईटी के सामने।					
13.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, सरस डेयरी के सामने।					
14.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, डी-ब्लॉक मोड के पास।					
15.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, डी-ब्लॉक मोड के सामने।					
16.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, लाल बहादुर मार्ग के सामने फोर्टिज के पास।					
17.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, आरयूआईडीपी के सामने, क्लार्क होटल के पास।					
18.	एम. आई. रोड़, सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय के बाहर एम.आई. रोड़।	21,78,000 (द्वितीय नवीनी.)  (समूह में)	24,47,000 (नीलामी स्वीकृत राशि)  (समूह में)  मै. राजस्थान पत्रिका	27,95,000 (प्रथम नवीनी.) (समूह में) मै. राजस्थान पत्रिका <b>6-2 (हेरिटेज)</b> <b>= 4</b>	01.02.2020 से 31.01.2021	कोविड राहत 6 माह  31.07.2021
19.	एम. आई. रोड़, रामनिवास बाग गेट के पास, एमआई रोड़।					
20.	एम. आई. रोड़, न्यू गेट रामलीला मैदान के बाहर।					
21.	एम. आई. रोड़, गोलछा स्क्वायर के पास एम.आई.रोड़।					
22.	भवानी सिंह रोड़, एल.आई.सी. ऑफिस के बाहर।	13,31,000 (द्वितीय नवीनी.)  (समूह में 4)	15,00,000 (नीलामी स्वीकृत राशि) मै. राजस्थान पत्रिका (समूह में 4)  2 जेडीए द्वारा हटाये गये	7,51,000 (नीलामी स्वीकृत राशि) (समूह में) मै. राजस्थान पत्रिका <b>2-1 (हेरिटेज)</b> <b>= 1</b>	01.02.2020 से 31.01.2021	कोविड राहत 6 माह  31.07.2021



कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)  
जोन वाईज

क्र. सं.	जोन का नाम	विज्ञापन साईट	राशि विवरण	राशि विवरण	राशि विवरण	फर्म का नाम	अवधि	
1	विद्याधर नगर जोन	कियोस्क बोर्ड	65,01,800 (नीलामी स्वीकृत राशि) वर्ष 2017-18	71,51,980 (प्रथम नवीनी.) वर्ष 2018-19	78,67,178 द्वितीय नवीनी. (2019-20)	राज. पत्रिका	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह  31.08.2021
2	सिविल लाईन जोन	कियोस्क बोर्ड	1,08,90,000 द्वितीय नवीनी. वर्ष 2017-18	1,08,92,000 (नीलामी स्वीकृत राशि) वर्ष 2018-19	1,19,81,200 (प्रथम नवीनी.) (2019-20)	एन.एस.पब्लिसिटी	31-03-2021 तक	कोविड राहत 6 माह  30.09.2021
3	मानसरोवर जोन	कियोस्क बोर्ड	55,68,420 द्वितीय नवीनी. वर्ष 2017-18	62,10,420 (नीलामी स्वीकृत राशि) वर्ष 2018-19	68,31,462 (मार्च 2019-20) (प्रथम नवीनी.) (2019-20)	प्रवीण पब्लिसिटी	31-03-2021 तक	कोविड राहत 6 माह  30.09.2021
4	सांगानर जोन	कियोस्क बोर्ड	-	-	48,58,760 नीलामी स्वीकृत राशि (नवम्बर 2019-20)	एन.एस.पब्लिसिटी	31-12-2020 तक	कोविड राहत 6 माह  30.06.2021
5	मोतीडूंगरी जोन	कियोस्क बोर्ड	वर्ष 2018-19  (77,00,000) एन.एस.पब्लिसिटी	पेंडिंग	पेंडिंग	-	-	नीलामी में पेंडिंग है।  (परिसीमन किया जाना है।)

: निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री)

37

क्र.सं.	स्थान का विवरण	फर्म का नाम	स्वीकृत राशि 2017-18	प्रथम नवीनी. राशि	द्वितीय नवीनी. राशि 2019-20	अवधि	
1	झोटवाड़ा, हाईपर सिटी।	एन.एस.पब्लिसिटी	12,05,000	13,25,500	14,58,050	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.08.2021
2	एम.आई.रोड़, अजमेरी गेट।	एन.एस.पब्लिसिटी	15,01,000	16,51,100	18,16,210	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.08.2021
3	सहकार मार्ग, परिवहन कार्यालय के पास।	एन.एस.पब्लिसिटी	9,29,000	10,21,900	11,24,090	28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.08.2021
4	क्वींस रोड़, जंक्शन के पास, अजमेर रोड़।	राज.पत्रिका	16,13,000	17,74,300	19,51,730	30.06.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.12.2021
5	गोविन्दपुरा कालवाड़ रोड़।	राज.पत्रिका	7,04,000	7,74,400	8,51,840	30.06.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.12.2021
6	आईआईएस स्कूल, मानसरोवर, जयपुर।	राज.पत्रिका	10,04,000	11,04,400	12,14,840	30.06.2020 तक	कोविड राहत 6 माह 31.12.2021
7	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मुक बधिर विद्यालय के पास।	राज.पत्रिका	—	—	19,83,010 (जनवरी 2020-21 ई-ऑक्शन)	—	01.02.2021 से 31.01.2022 तक



8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पुलिस मैमोरियल के पास, सुराणा के बाहर।	राज.पत्रिका	—	—	21,59,850 (जनवरी 2020-21 ई-ऑक्शन)	—	01.02.2021 से 31.01.2022 तक
9	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गणेश मंदिर के पास, बिडला मंदिर।	राज.पत्रिका	—	—	22,11,110 (जनवरी 2020-21 ई-ऑक्शन)	—	01.02.2021 से 31.01.2022 तक
10	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिडला मंदिर सर्किल, गणेश मार्ग के पास।	एन.एस.पब्लिसिटी	—	—	21,60,310 (जनवरी 2020-21 ई-ऑक्शन)	—	01.02.2021 से 31.01.2022 तक
11	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान विश्वविद्यालय, कानोडिया कॉलेज के सामने।	पी.के.एडवरटाईजिंग	—	—	21,57,010 (जनवरी 2020-21 ई-ऑक्शन)	—	01.02.2021 से 31.01.2022 तक
12	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पोद्दार स्कूल के बाहर।	डिस्कवरी आउटडोर्स	—	—	22,13,850 (जनवरी 2020-21 ई-ऑक्शन)	—	01.02.2021 से 31.01.2022 तक
13	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर के पास, जवाहर कला केन्द्र के सामने।	एन.एस.पब्लिसिटी	—	—	22,01,850 (जनवरी 2020-21 ई-ऑक्शन)	—	01.02.2021 से 31.01.2022 तक
14	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के बाहर।	एन.एस.पब्लिसिटी	—	—	21,69,850 (जनवरी 2020-21 ई-ऑक्शन)	—	01.02.2021 से 31.01.2022 तक
15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, सरस संकूल के सामने।	एन.एस.पब्लिसिटी	—	—	21,63,790 (जनवरी 2020-21 ई-ऑक्शन)	—	01.02.2021 से 31.01.2022 तक
16	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जेनपेक्ट के पास।	एन.एस.पब्लिसिटी	—	—	20,01,640 (जनवरी 2020-21 ई-ऑक्शन)	—	01.02.2021 से 31.01.2022 तक

17	टॉक रोड़, पलाईओवर के आगे, चौधरी पेट्रोल पंप के सामने।	राज.पत्रिका	-	-	20,98,410 (जनवरी 2020-21 ई-ऑक्शन)	-	01.02.2021 to 31.01.2022
----	---	-------------	---	---	--	---	--------------------------------

39



यूनिपोल साईट  
मालवीय नगर जोन जनवरी 2021  
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

PENDING

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (मालवीय नगर)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	MDZ-02	MNZ-03	16x8	टॉक रोड़, अशोक मार्ग, स्लीप लाईन पर, एम.जी.डी. स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर वि.प.न. 1	11,43,450
2	MDZ-16	MNZ-06	16x8	टॉक रोड़, नारायण सिंह तिराहा, तोतूका भवन की दीवार के पास, फुटपाथ पर, अजमेरी गेट की ओर से समानान्तर वि.प.न. 3।	15,66,600
3	MDZ-68	MNZ-09	16x8	टॉक रोड़ रिजर्व बैंक के पास, तख्तोशाही रोड़ के उत्तरी कोने पर।	15,61,087
4	MDZ-97	MNZ-10	16x8	टॉक रोड़ रामबाग चौराहे के पूर्वी-दक्षिणी ओर पीसीजे ज्वैलर्स के बाहर फुटपाथ पर।	20,29,650
5	CLZ- 90	MNZ-12	16x8	टॉक रोड़ फल मण्डी रोड़, नेहरू पैलेस के दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर।	11,04,048
6	MDZ-83	MNZ-19	30x15	जे.एल.एन. रामनिवास बाग के दक्षिणी गेट के पास बने सुलभ शौचालय के पास शहीद स्मारक देखते हुए।	21,71,400
7	MDZ-57	MNZ-26	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. चौराहे के पास, पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर।	31,76,250
8	MDZ-85	MNZ-27	30x15	जे.एल.एन.मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले, एम.एन.आई.टी दीवार के पास।	33,10,923
9	MSZ-59	MNZ-34	30x15	आश्रम मार्ग, जवाहर सर्किल आश्रम मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर।	26,29,935
10	MDZ-36	MNZ-41	16x8	मालवीय नगर, अपेक्स सर्किल के उत्तरी- पूर्वी कोने पर फुटपाथ के समानान्तर।	9,93,352
11	MDZ-32	MNZ-42	16x8	मालवीय नगर, अपेक्स सर्किल के उत्तरी - पश्चिमी कोने पर केलगिरी की ओर से, वि.प.न.1।	10,98,982
12	MDZ-46	MNZ-53	16x8	गोविन्द मार्ग, धर्मसिंह सर्किल से पहले पार्क के कोने पर।	12,54,750
13	MDZ-66	MNZ-59	16x8	एम.आई.रोड़ महिला चिकित्सालय के पास।	14,08,000
14	MSZ-58	MNZ-62	30x15	हिम्मत नगर, आरओबी के पास।	20,47,500

यूनिपोल साईट  
झोटवाड़ा जोन जनवरी 2021  
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (झोटवाड़ा जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	VDZ-68	JHZ -12	30x15	खिरणी फाटक आरओबी के नीचे बने पार्क में पूर्व की ओर अजमेर देखते हुए।	(NEW SITES) 8,00,000
2	VDZ-69	JHZ -13	30x15	खिरणी फाटक आरओबी के नीचे बने पार्क में पश्चिमी की ओर सीकर रोड़ देखते हुए।	(NEW SITES) 8,00,000



यूनिपोल साईट  
सांगानेर जोन जनवरी 2021  
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

42

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (सांगानेर जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	SNZ-60	SNZ-08	30X15	टोंक रोड़, हल्दी घाटी चौराहा, पश्चिम-दक्षिण की ओर।	13,93,500
2	SNZ-59	SNZ-09	30X15	टोंक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोंक रोड़ की ओर देखते हुये।	12,60,000
3	SNZ-58	SNZ-10	30X15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास, आरोबी के पश्चिम और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास।	13,55,000
4	SNZ-57	SNZ-11	30X15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास आरोबी के पूर्वी ओर आरोबी रेलवे लाईन के पास बने प्लाट नं. A-1 के पास।	14,28,000

यूनिपोल साईट  
विद्याधर नगर जोन जनवरी 2021  
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

43

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (विद्याधर नगर जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	VDZ-54	VDZ-03	16x8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के दक्षिणी-पूर्वी कोने के फुटपाथ पर नया खेड़ा के सामने।	5,09,250
2	VDZ-23	VDZ-05	16x8	विद्याधर नगर,, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे पर, उत्तर-पूर्व बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि. प.न. 1।	5,75,316
3	VDZ-20	VDZ-06	16x8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पोईट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न.1।	5,72,775
4	CLZ-121	VDZ-23	16'x8'	कालवाड़ रोड़ एक्सप्रेस हाईवे पुलिया के बाद रोड़ के उत्तरी ओर प्रिया सर्विस सेन्टर पेट्रोल पम्प के पास दादूदयाल स्टील मैनुफैक्चरिंग वर्क्स के बाहर।	(NEW SITES) 4,00,000



यूनिपोल साईट  
मुरलीपुरा जोन जनवरी 2021  
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

44

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (मुरलीपुरा जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	VDZ-64	MPZ-01	16x8	सीकर रोड़, चौमूं पुलिया, भवानी निकेतन स्कूल के कोने के पास।	10,32,937
2	VDZ-66	MPZ-02	30x15	सीकर रोड़ एक्सप्रेस हाईवे बीआरटीएस के उत्तरी-पश्चिम की ओर आईलैण्ड पर पूर्व की ओर देखते हुए।	(NEW SITES) 8,00,000
3	VDZ-67	MPZ-03	30x15	सीकर रोड़ एक्सप्रेस हाईवे के दक्षिणी-पश्चिम की ओर आईलैण्ड पर पश्चिम देखते हुए।	(NEW SITES) 8,00,000

यूनिपोल साईट  
मानसरोवर जोन जनवरी 2021  
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

45

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (मानसरोवर जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरूआती बोली
1	MSZ-68	MSZ-04	30x15	गोपालपुरा बाईपास, आरओबी के उत्तरी- पश्चिमी ओर।	29,23,420
2	MSZ-54	MSZ-13	16x8	शिप्रापथ मोहननगर पुलिया आने वाले रास्ते के टी-पोईट पर साईट सं. MSZ-04 के पास एस.एफ.एस की ओर।	8,65,462
3	MSZ-07	MSZ-20	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी रोड़ मध्यम मार्ग चौराहे के उत्तरी-पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	6,22,545
4	CLZ-119	MSZ-23	30'x15'	अजमेर रोड़, कंचन केसरी के पास, अजमेर देखते हुए।	(NEW SITES) 8,00,000
5	CLZ-120	MSZ-24	30'x15'	अजमेर रोड़, कंचन केसरी के पास जयपुर देखते हुए।	(NEW SITES) 8,00,000
6	CLZ-122	MSZ-25	30'x15'	अजमेर रोड़ पर मांकरोटा थाने के पास पूर्व की ओर जयपुर देखते हुए।	(NEW SITES) 8,00,000





# कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

46

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित सुलभ शौचालय

जनवरी 2021

ई-ऑक्शन-सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र.सं.	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती नीलामी राशि
	<b>सुलभ शौचालय साईट्स (ग्रुप - ए)</b>	<b>5,50,000 /- रुपये</b>
1	चित्रकूट स्टेडियम।	
2	लालकोठी नगर निगम के पास।	
3	रोज गार्डन, मानसरोवर टैगोर अस्पताल के पास।	
4	अजमेरी गेट यादगार के सामने।	
5	नारायण सिंह सर्किल।	
क्र.सं.	स्थान का विवरण	12,50,000 /- रुपये
	<b>सुलभ शौचालय साईट्स (ग्रुप - बी)</b>	
1	मालवीय नगर, सत्कार मार्केट।	
2	मालवीय नगर सेक्टर -3।	
3	सूचना केन्द्र के सामने।	
4	गांधी नगर रेलवे स्टेशन के सामने।	
5	एम्बुलेंस स्टेण्ड के पास अलबर्ट हॉल के पिछे।	
6	गौरव-टॉवर, जयपुर।	



# कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

47

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री)  
जनवरी 2021  
ई-ऑक्शन-सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र.सं.	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	सीकर रोड़, भवानी निकेतन के सामने।	12,13,905
2	जगतपुरा रोड़, क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय के बाहर।	8,01,150
3	सीकर रोड़, खेतान हॉस्पिटल के सामने।	10,54,200
4	रिद्धी-सिद्धी जेडीए मार्केट के सामने, मानसरोवर।	15,05,700
5	झोटवाड़ा, रिक्को ऐरिया।	7,39,200
6	सीकर रोड़, भवानी निकेतन गर्ल्स कॉलेज के बाहर।	7,83,300
7	टॉक रोड़, बी-2 बाईपास।	10,76,250
8	झोटवाड़ा पुलिया थाने की तरफ, झोटवाड़ा।	8,39,300
9	जगतपुरा रोड़, श्री हॉस्पिटल के पास।	11,14,300
10	जे.एल.एन. मार्ग, जेडीए ऑफिस के पास, बिरला मंदिर के सामने।	27,64,300
11	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, एम.एन.आई.टी. के गेट के सामने, मंदिर के पास।	15,57,270
12	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, फलाई ओवर के बाद मालवीय नगर डी-ब्लॉक के सामने।	15,58,480





कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर  
नये लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) 8'x4' (समूह में)

जनवरी 2021

ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

लघु विज्ञापन बोर्ड 8'x4'

क्र. सं.	साईज	जोन का नाम	स्थान का विवरण	शुरुआती बोली
1	8x4	MSZ	महारानी फार्म पुलिया।	37,00,000
2	8x4	MSZ	मानसरोवर एस.एफ.एस. चौराहा, फ्लैट ब्लॉक – ए की ओर।	
3	8x4	MSZ	मानसरोवर एस.एफ.एस. चौराहा, एस.एफ.एस. की ओर।	
4	8x4	MSZ	मानसरोवर वी.टी. रोड़।	
5	8x4	MSZ	मानसरोवर मेट्रो स्टेशन।	
6	8x4	MSZ	बी-2 बाईपास, शिप्रापथ चौराहा बाई ओर।	
7	8x4	MSZ	बी-2 बाईपास, शिप्रापथ चौराहा दाई ओर।	
8	8x4	MSZ	गोपालपुरा बाईपास, त्रिवेणी नगर मोड़।	
9	8x4	MSZ	गोपालपुरा बाईपास, रिद्धी-सिद्धी चौराहा सुलभ के पास।	
10	8x4	MSZ	गोपालपुरा आरओबी, शिव-शक्ति मिष्ठान भंडार के पास।	
11	8x4	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, रामनिवास गेट।	
12	8x4	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर कला केन्द्र।	
13	8x4	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, महावीर उद्यान के पास।	
14	8x4	MNZ	धर्मसिंह सर्किल।	
15	8x4	MNZ	जेडीए सर्किल।	
16	8x4	MNZ	शांति पथ, विजय मार्ग के सामने, यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे।	
17	8x4	MNZ	मालवीय नगर केलगिरी रोड़, पेट्रोल पंप के पास।	
18	8x4	MNZ	जवाहर नगर बाईपास, अरण्य भवन की दीवार के पास।	
19	8x4	MNZ	प्रधान मार्ग, पुलिया।	
20	8x4	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, ओ.टी.एस. चौराहा।	
21	8x4	MNZ	टोंक रोड़, 1 <sup>st</sup> सिनेमा के बाहर।	

22	8x4	MNZ	मालवीय नगर, गौरव टॉवर।	
23	8x4	MNZ	सहकार मार्ग, हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप ऑफिस के पास।	
24	8x4	MNZ	गोपालपुरा बाईपास, महावीर नगर टर्न के पास।	
25	8x4	MNZ	मिलाप नगर, टोंक रोड़।	
26	8x4	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, इनकम टैक्स रोड़ के कोने पर।	
27	8x4	MNZ	टोंक रोड़, दुर्गापुरा बस स्टैण्ड के पास।	
28	8x4	VDZ	विद्याधर नगर, सेन्ट्रल स्पाईन चौराहा।	
29	8x4	VDZ	विद्याधर नगर, नेशनल हैण्डलूम के पास।	
30	8x4	VDZ	विद्याधर नगर रोड़, स्वर्ण जयंति गार्डन के सामने, विद्याधर नगर जाने वाले रास्ते के फुटपाथ पर।	
31	8x4	JHZ	क्वींस रोड़, झारखण्ड महादेव के पास।	
32	8x4	JHZ	क्वींस रोड़, गांधी-पथ के सामने।	
33	8x4	SNZ	टोंक रोड़, हल्दी-घाटी मार्ग, प्रताप नगर।	
34	8x4	SNZ	टोंक रोड़, सीतापुरा आरओबी के पास।	
35	8x4	JPZ	जगतपुरा पुलिया।	
36	8x4	JPZ	बालाजी मोड़, जगतपुरा।	
37	8x4	MPZ	मुरलीपुरा चौराहा, सीकर रोड़।	





# कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

नये बैकलिट टॉवर साईट्स

जनवरी 2021

ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

बैकलिट टॉवर साईट्स

न्यूनतम शुरुआती नीलामी राशि समूह में 21,00,000 रु.

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जेडीए चौराहा, बिड़ला मंदिर की ओर आईलैंड पर।
2	टोंक रोड़, बी-2 बाईपास चौराहा दक्षिणी-पश्चिम की ओर।
3	एस.एफ.एस. चौराहा, मानसरोवर एस.एफ.एस. की ओर।
4	न्यू सांगानेर रोड़, विजयपथ चौराहा सर्विस रोड़ के फुटपाथ पर।
5	अजमेर रोड़ 200 फीट बाईपास के पहले।
6	जवाहर नगर बाईपास, शांति-पथ तिराहे के पास।
7	टोंक रोड़, दुग्गड़ गार्डन के बाहर।
8	विद्याघर नगर रोड़, रेड क्रॉस मॉल के पास आईलैंड पर।
9	जगतपुरा- मालवीय नगर रोड़, सेक्टर 15 मालवीय नगर जाने वाले मार्ग के कोने पर बी-1 प्लाजा के पास आईलैंड पर।



# कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल), साईज 8' X 4' फुट (समूह में)  
जनवरी 2021 (अपडेट)  
ई-ऑक्शन सूची, ग्रेटर

क्र.सं.	साईट नं.	साईट का स्थान	न्यूनतम शुरुआती राशि (43,50,000/-)
1	MNZ	एम.आई. रोड साँगानेरी गेट, महिला चिकित्सालय के गेट के पास, रामनिवास बाग की रेलिंग के पास।	
2	MNZ	एम.आई.रोड, यादगार के सामने आर.एस.ई.बी. की दीवार के पास।	
3	MNZ	टोंक रोड, एस.एम.एस. अस्पताल के पास।	
4	MNZ	टोंक रोड, नारायण सिंह तिराहा।	
5	MNZ	भवानी सिंह रोड, रामबाग सर्किल।	
6	MNZ	टोंक रोड, अपेक्स मॉल के पास।	
7	MNZ	टोंक रोड, गाँधीनगर, नेहरू बाल उद्यान के पास।	
8	MNZ	टोंक रोड, नेहरू पैलेस के कोने पर फल मण्डी की ओर।	
9	MNZ	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, महावीर कैंसर अस्पताल की दीवार के पास।	
10	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, गांधी सर्किल।	
11	MNZ	जे.एल.एन. मार्ग, गांधी सर्किल।	
12	MNZ	जे.एल.एन.मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल।	
13	MNZ	मालवीय नगर, अपेक्स सर्किल।	
14	MNZ	बापू नगर, जनता स्टोर।	
15	MNZ	भवानी सिंह रोड, एल.आई.सी. गेट नं.-2 के बाहर।	
16	MNZ	भवानी सिंह रोड, सहकार भवन के दीवार के समानान्तर।	
17	MSZ	गोपालपुरा बाईपास पुलिया के पास।	
18	MSZ	मानसरोवर मध्यम मार्ग।	
19	MSZ	टोंक रोड, तारों की कूट, पेट्रोल पम्प के सामने।	
20	MPZ	सीकर रोड, चौमू रोड तिराहा, मिलिट्री की दीवार के पास।	
21	MPZ	झोटवाडा रोड, पुलिया के पास।	
22	MPZ	झोटवाडा रोड, हाईपर सिटी मॉल के सामने।	
23	JPZ	एयरपोर्ट के पास।	
24	JPZ	एयरपोर्ट, जवाहर सर्किल के पास।	
25	VDZ	सीकर रोड, सोनी अस्पताल की दीवार के पास।	





# कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

15 निर्मित बैकलिट टॉवर 6 मीटर

जनवरी 2021 (अपडेट)

ई-ऑक्शन सूची, ग्रेटर

क्र.सं.	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती राशि
1	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-जवाहर सर्किल।	(59,50,000 रुपये)
2	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-ओ.टी.एस सर्किल।	
3	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-जवाहर कला केंद्र।	
4	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-गौरव टॉवर।	
5	जवाहर लाल नेहरू मार्ग-गणेश मंदिर चौराहा।	
6	भवानी सिंह मार्ग-एस.एम.एस स्टेडियम के बाहर।	
7	टोंक रोड़, नेहरू पैलेस।	
8	जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट के बीच।	
9	जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट के बीच।	
10	क्वींस रोड़ गांधी पथ।	
11	विधाधर नगर सेन्ट्रल स्पाईन, आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने।	
12	विधाधर नगर सेन्ट्रल, टाइम स्क्वायर के सामने।	
13	ई.पी. के सामने।	
14	अपेक्स सर्किल के आगे, बालाजी मोड़।	
15	हवा सड़क गीजगढ टॉवर के पास।	



# कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

14 निर्मित डिजिटल यूनिपोल (समूह में)

जनवरी 2021

ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र.सं.	स्थान का विवरण	नीलामी स्वीकृत राशि
1	जे.एल.एन. मार्ग, क्लार्क होटल के बाहर।	1,27,00,000
2	जे.एल.एन. मार्ग, ओ.टी.एस. सर्किल बिड़ला मंदिर देखता हुआ।	
3	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान कॉलेज के बाहर।	
4	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर।	
5	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास।	
6	जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मंदिर सर्किल।	
7	जे.एल.एन. मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल।	
8	जे.एल.एन. मार्ग, सूचना केन्द्र देखता हुआ।	
9	एम.आई.रोड़, सरावगी मेशन के सामने।	
10	रामबाग सर्किल, सुबोध कॉलेज।	
11	रामबाग सर्किल, टॉक रोड़ कार्नर।	
12	रामबाग सर्किल, सुबोध कॉलेज के पास।	
13	एम.आई.रोड़, अजमेरी गेट।	
14	एम.आई.रोड़, न्यू गेट।	





# कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित टॉलेस्ट ग्रेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट  
जनवरी 2021 ग्रेटर  
ई-ऑक्शन सूची, (अपडेट)

क्र.सं.	स्थान	नीलामी राशि
1.	रामबाग सर्किल	40,02,000 रु.
2.	भगत सिंह चौराहा, राजापार्क	

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक  
लागू

विज्ञापन दरें – प्रति वर्गफुट

निजी/व्यावसायिक भवनों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों  
पर लगने वाले ग्लोसाईन बोर्ड साईज (4'x50' तक) –रु. 313.83

वर्ष 2020–21 की चल वाहनों की विज्ञापन दरें

7 (सात) दिवस के रोड़ शो की दर रु. –	रु. 156.90
1 महिने के रोड़ शो के लिए दर रु. –	रु. 313.83

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये मोबाईल विज्ञापन वाहनों पर  
विज्ञापन शुल्क की दर –रु. 1726.14



होर्डिंग शाखा मुख्यालय में वर्ष 2020 -21 हेतु मोबाईल विज्ञापन वाहनों की सूची

56

दर 1726.14 रु.

क्र. सं.	फर्म का नाम	वाहन संख्या	साईज	मोबाइल नं.	चैक नं.	राशि	रसीद संख्या
1	मै. तुकराल एडवरटाईजर्स	RJ-14-GA-9801	10x6	9829014660	525611	1,03,620	9002 / 7418
2	मैसर्स एस.जी.एम. आउटडोर्स (एन.एस.)	RJ -14 GD- 8202	10x6	8058055599	169744	1,03,620	9002 / 7428
3	मैसर्स एस.जी.एम. आउटडोर्स (एन.एस.)	RJ -14 GD- 8215	10x6	8058055599	169744	1,03,620	9002 / 7428
4	मैसर्स एस.जी.एम. आउटडोर्स	RJ -14 GD -8219	10x6	8058055565	169744	1,03,620	9002 / 7428
5	मैसर्स एस.जी.एम. आउटडोर्स	RJ -14 GD- 8213	10x6	8058055566	169744	1,03,620	9002 / 7428
6	मै. एबीसी एडवरटाईजिंग सर्विसेज	RJ-14-GH-1539	8x6	9983329011	697314	82,855	9002 / 7419
7	मै. एबीसी एडवरटाईजिंग सर्विसेज	RJ-14-GH-2961	8x6	9983329011	697315	82,855	9002 / 7419
8	जय अम्बे क्रियेसन्स	RJ-14-GD-6844	10x6	9829324786	067702	1,03,620	9003 / 756
9	जय अम्बे क्रियेसन्स	RJ-14-GA-7661	10x6	9829324786	067702	1,03,620	9003 / 756
10	जय अम्बे क्रियेसन्स	RJ-14-GE-1010	10x6	9829324786	067702	1,03,620	9003 / 756
11	जय अम्बे क्रियेसन्स	RJ-14-GD-7661	10x6	9829324786	067702	1,03,620	9003 / 756
12	मै. प्रचार-प्रसार कम्पनी	RJ-14-GB-2556	8x6	9829205754	732431	82,896	9003 / 4257
13	मै. प्रचार-प्रसार कम्पनी	RJ-14-GB-3597	8x6	9829205754	732432	82,896	9003 / 4257
14	मै. प्रचार-प्रसार कम्पनी	RJ-14-GA-9249	8x6	9829205754	732432	82,896	9003 / 4257





# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पवित्रत दीन दयाल उपप्रायार मयल लालकोठी, जयपुर)

निगम द्वारा पिछले/अतिम वर्ष की गीलानी मे दिये गये युक्तिपत्रों को दर्शों का तुलनात्मक चार्ट 2019-20 वर्ष 2020-21 के लिये लागू

क्र.सं.	परिचय/शेड का नाम	पवित्रत गूट की अतिमा राशि	अतिमा राशि प्रतिशत गूट का 50%	क्र.सं.	परिचय/शेड का नाम	पवित्रत गूट की अतिमा राशि	अतिमा राशि प्रतिशत गूट का 50%
1	श्रीगणेश शेड (सिटीकाल से श्रीदवावाला शेड 200 शेड तक)	4412	2206	10	अशोक मार्ग (महाराजी कॉलेज से गर्भमंदिर तक सिटीकाल तक)	7470	3735
2	श्रीदवावाला शेड (सिटीकाल से श्रीदवावाला शेड 200 शेड तक)	8506	4253	10	दीवाली मार्ग का समूह शेड	7798	3899
3	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	7302	3651	20	परीस शेड (अजमेर रोड सिटीकाल से श्रीदवावाला शेड तक)	8768	4384
4	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	8856	4428	21	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	4110	2055
5	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	5998	2999	22	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	3148	1574
6	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	3562	1781	23	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	2124	1062
7	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	6048	3024	24	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	8522	4261
8	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	7378	3689	26	एम.आई. रोड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	8338	4169
9	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	4672	2336	26	परिदवावाला शेड	6590	3295
10	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	4450	2225	27	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	5746	2873
11	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	3322	1661	28	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	6469	3234
12	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	3098	1549	29	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	3350	1675
13	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	3010	1505	30	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	5776	2888
14	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	4108	2054	31	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	2845	1422
15	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	2242	1121	32	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	7904	3952
16	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	2630	1315	33	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	5794	2897
17	श्रीदवावाला शेड (श्रीदवावाला शेड से श्रीदवावाला शेड तक)	3034	1517				

(नवीन नगरपालिका)  
उपप्रायार राजस्व (प्रथम)  
नगर निगम जयपुर  
डिस्ट्रिक्ट एंड ग्रैंटर





# कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

58

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

20 फिल्मी पोस्टर्स विज्ञापन स्थानों की सूची  
फर्म:- मैसर्स शगुन एन्टरप्राइजेज  
जनवरी 2021 की स्थिति, ग्रेटर

(एक समूह में)

क्र. सं.	साईज	स्थान का विवरण	स्वीकृत राशि	अवधि	
1	10'x10'	एम.आई. रोड, सरावगी मेन्शन के सामने।	4,45,500 रूपये	01.03.2020 से 28.02.2021 तक	कोविड राहत 6 माह 31.08.2021 तक
2	10'x10'	एम.आई. रोड, मान प्रकाश के सामने रामनिवास बाग की दीवार के सहारे तिराहे पर			
3	10'x10'	महावीर मार्ग, सरस्वती मार्ग के सामने			
4	10'x10'	महावीर मार्ग जय क्लब के सामने चौराहे पर			
5	10'x10'	टॉक रोड, अजमेरी गेट, बस स्टेण्ड एमजीडी स्कूल के सामने।			
6	10'x10'	टॉक रोड, सूचना केन्द्र डिग्गी हाउस जाने वाले रास्ते के कोने पर			
7	10'x10'	टॉक रोड, आरोग्य मार्ग महाराजा कॉलेज की दीवार के पास			
8	10'x10'	टॉक रोड, लक्ष्मी विलास होटल की कम्पाउण्ड के बाहर कोने पर			
9	10'x10'	टॉक रोड, सुबोध कॉलेज रिजर्व बैंक पेट्रोल पंप के पास			
10	10'x10'	टॉक रोड, यूनिवर्सिटी रोड प्राकृतिक चिकित्सालय की दीवार के पास			
11	10'x10'	टॉक रोड, नेहरू पैलेस सब्जी मण्डी के पास			
12	10'x10'	टॉक रोड, लालकोठी स्कीम, विधानसभा रोड			
13	10'x10'	टॉक रोड, बरकत नगर रेलवे क्रॉसिंग के सामने			
14	10'x10'	सहकार मार्ग, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पिछे जे.पी.फाटक के सामने			
15	10'x10'	सहकार मार्ग, इमली फाटक के सामने			
16	10'x10'	मोतीडूंगरी रोड, धर्मसिंह सर्किल पर गणेश जी के मंदिर की ओर			

17	10'x10'	मोतीझूंगरी रोड़, खरबूजा मण्डी पम्प हाउस के पास			
18	10'x10'	राजापार्क एलबीएस कॉलेज के सामने पार्क की दीवार के पास			
19	10'x10'	गोविन्द मार्ग दशहरा मैदान के सामने तिराहे पर			
20	10'x10'	न्यू गेट रामलीला मैदान के सामने रंगमंच की दीवार के पास			

नोट :- उपरोक्त राशि 4,45,500/- रुपये जयपुर नगर निगम (ग्रेटर+हैरिटेज) सहित एक समूह में अलॉट की गई है कुल साईटें 20+20 = 40 साईटें है।



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)



## लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) साईज 8'X4' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें ई-नीलामी वर्ष : अक्टूबर 2020

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की ई-ऑक्शन एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. नगर निगम सीमा में आने वाले 50 लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) का ई-ऑक्शन एकजाई-एकमुश्त की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एक वर्ष (1 नवम्बर 2020 से 31 अक्टूबर 2021) तक के लिए की जावेगी, जिसकी साईज 8'X4' फीट स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापित कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के लिए एक लाख रुपये बतौर अमानता के रूप में ऑनलाईन निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। असफल बोलीदाता को अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जावेगी।
4. नीलामी के पश्चात् लघु विज्ञापन बोर्ड साइटों की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि बोली समाप्ति के 24 घंटों के भीतर निगम कोष में ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
5. ई-नीलामी का निर्धारित समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक रहेगा। अंतिम 15 मिनट में संवेदक/फर्म द्वारा बोली दिये जाने पर ई-नीलामी की समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 30 मिनट की वृद्धि हो जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा मध्य रात्रि 12.00 बजे तक की ही होगी।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर निर्मित लघु विज्ञापन बोर्ड यूनिपोल 8'x4' पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जीएसटी टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जीएसटी टैक्स राशि जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 नवम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जीएसटी टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीलामी किये जाने के पश्चात् लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। नगर निगम लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में सहयोग करेगा एवं लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
9. लघु विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य साईट्स को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नहीं लगायेगा। लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) से अनुज्ञापत्रधारी के लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।



11. लाईसेंस अवधि समाप्ति पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा ।
12. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा । इससे भिन्न रूप से लगाये गये लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा ।
13. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से इन लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) का निर्माण करना होगा एवं उसी के अनुरूप इनका संधारण (रखरखाव) किया जायेगा । कोई भी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर डबल साईड विज्ञापन नहीं होगा ।
14. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन, नियोन अथवा चलित बोर्ड, फिल्मी पोस्टर आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा ।
15. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर अपनी फर्म का नाम एवं साइट नम्बर, लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा । ऐसा न करने पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा ।
16. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आधी, तुफान आदि की स्थिति में लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीचे नहीं गिरे । अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा । स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी । नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी जयपुर नगर निगम जयपुर, विज्ञापन विधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे ।
18. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा । इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा ।
19. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घन्टे के अंदर नियमानुसार खडा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी ।
20. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।
21. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा ।
22. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो उसका वहन लाईसेंसि को ही करना होगा ।
23. नीलामी में लिए गये किसी भी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पब्लिक रिकवरी एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
24. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा ।
25. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी ।
26. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पडे तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा ।
27. अगर कोई लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
28. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा ।
29. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय निगम विज्ञापन समिति का होगा जो मान्य होगा ।
30. सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) एकरूपता से होंगे । भूमि/फुटपाथ की सतह से सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की ऊँचाई 7 फुट होगी । साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा ।

**लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)  
नगर निगम जयपुर**





# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

62

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें,  
ई-नीलामी : अक्टूबर 2020

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक-पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल स्ट्रक्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16'X8' फीट साईज के तथा 30'X15' फीट साईज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 नवम्बर 2020 से 31 अक्टूबर 2021) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जायेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापित कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक 16'X8' फीट साईज के यूनिपोल साइट के लिए रूपये 30,000/- (तीस हजार रूपये) तथा प्रत्येक 30'X15' फीट साईज के यूनिपोल साइट के लिए 50,000/- (पचास हजार) रु. बतौर अमानता ऑनलाईन नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि बोली समाप्ति के 24 घंटे के भीतर ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जायेगी तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
4. नीलामी के पश्चात् प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि बोली समाप्ति के 24 घंटे के भीतर ऑनलाईन निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को मौका दिया जायेगा। द्वितीय बोलीदाता के असफल रहने पर पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. ई-नीलामी का निर्धारित समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक रहेगा। अंतिम 15 मिनट में संवेदक/फर्म द्वारा बोली दिये जाने पर ई-नीलामी की समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 30 मिनट की वृद्धि हो जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा मध्य रात्रि 12.00 बजे तक की ही होगी।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमण्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 नवम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. साईट नीलामी किये जाने के पश्चात् यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर यूनिपोल नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम साईट लगाने में सहयोग करेगा एवं साईट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जायेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यकधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी। बिना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ यूनिपोल अवैध माना जायेगा जिसे निगम द्वारा हटवा दिया जायेगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साईट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साईट का अनुज्ञापत्र सूची में अंकित स्थल अनुसार साईट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
9. यूनिपोल विज्ञापन एवं स्ट्रक्चर लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य साईट्स को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साईट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के



पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनियोपल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।

11. लाईसेंस अवधि समाप्ति तिथि को यूनियोपल सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्चे पर हटवा लिया जायेगा अन्यथा लाईसेंस अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा हटवाने पर 16'X8' यूनियोपल के लिये रु. 30,000/- एवं 30'X15' के यूनियोपल के लिये रु. 60,000/- हर्जा-खर्चा वसूल किया जायेगा एवं यदि यूनियोपल हटवाने की कार्यवाही में, यूनियोपल की आंशिक या पूर्णक्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. यूनियोपल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार नगर निगम जयपुर के प्रारूपकार की देखरेख में ही लगाया जावेगा जिसका प्रमाणीकरण प्रारूपकार द्वारा किया जायेगा। उनकी देखरेख के बिना एवं स्व: विवेक से सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाये गये यूनियोपल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
13. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से 16'X8' यूनियोपल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'X15' साईज के यूनियोपल लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
14. यूनियोपल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
15. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनियोपल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनियोपल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनियोपल फिक्सचर की आंशिक या पूर्ण क्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनियोपल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनियोपल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनियोपल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनियोपल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
18. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
19. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनियोपल मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खडा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
20. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
21. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
22. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
23. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
24. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
25. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
26. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पडे तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा।
27. अगर कोई यूनियोपल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
28. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
29. सभी यूनियोपल सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
30. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)  
नगर निगम जयपुर





# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

64

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ओवर हैड साईनेज (गैन्ट्री) की शर्तें

ई-नीलामी : अक्टूबर 2020

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ओवर हैड साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 नवम्बर 2020 से 31 अक्टूबर 2021) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता राशि 25,000/- अक्षर (पच्चीस हजार रुपये मात्र) प्रति ओवर हैड साईनेज निगम कोष में जमा करानी होगी। प्राप्त उच्चतम बोली स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत बोली दर की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कराई जायेगी जिसमें अमानता राशि का समायोजन किया जायेगा। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जावेगी।
3. ई-नीलामी का निर्धारित समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक रहेगा। अंतिम 15 मिनट में संवेदक/फर्म द्वारा बोली दिये जाने पर ई-नीलामी की समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 30 मिनट की वृद्धि हो जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा मध्य रात्रि 12.00 बजे तक की ही होगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि बोली समाप्ति के 24 घंटों के भीतर ऑनलाईन/ऑफलाईन निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को मौका दिया जावेगा। द्वितीय बोलीदाता के असफल रहने पर ओवर हैड साईनेज की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. निगम सीमा में लगे ओवर हैड साईनेज पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंस को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित ओवर हैड साईनेज में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
6. ओवर हैड साईनेज पर लगे दिशा सूचक साईनेज पर यदि मिशन अनुपम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं फर्म का नाम है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जयपुर नगर निगम का लोगो लगाना होगा। साईनेज रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट जो blue Color, Color No. 66 French blue as per 1.515 व अक्षर सफेद कलर में होगी।
7. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
8. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेन्सी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
9. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ओवर हैड साईनेज (गैन्ट्री) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 नवम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।



10. ओवरहेड साईनैज गैन्ट्री पर विज्ञापन लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि मे अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य साईट्स को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जायेगी। इसमे निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
11. ओवर हैड साईनेज पर प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओवर हैड साईनेज पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लारिस्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
12. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ओवरहेड साईनैज गैन्ट्री की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साईट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में ओवरहेड साईनैज गैन्ट्री नीचे नहीं गिरे। ओवरहेड साईनैज गैन्ट्री गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. लाईसेन्स अवधि में ओवर हैड साईनेज की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। ओवर हैड साईनेज विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ओवर हैड साईनेज में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के हर्जे पर ठीक करवाना होगा। ओवर हैड साईनेज का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। ओवर हैड साईनेज का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
14. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (ओवर हैड साईनेज सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
15. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
16. जनहित/यातायात में बाधक होने पर ओवर हैड साईनेज को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेन्सी द्वारा अपने खर्चे पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को ओवर हैड साईनेज शिफ्ट करना होगा।
17. अगर कोई ओवर हैड साईनेज जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
18. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंस ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
19. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
20. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम जयपुर में निहित होगा तथा वहीं मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन अनुज्ञापत्रधारी को ही करना होगा।
22. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
23. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
24. लाईसेंस समाप्ति पर ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री) नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री) के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री) अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री) का नगर निगम को भुगतान करना होगा।
25. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होता है तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

**लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)  
नगर निगम जयपुर**



## कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड)

ई-नीलामी : अक्टूबर 2020

नगर निगम के सीमा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर समस्त बिजली के खम्बों पर दो छोटे बोर्ड (कियोस्क) लगाने के लाइसेन्स की जोन वार नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार होगी।

1. लाइसेन्स की अवधि :- विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 नवम्बर 2020 से 31 अक्टूबर 2021) तक के लिए मान्य होगी। लाइसेन्सधारी द्वारा नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाइसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. क्षेत्र :- कियोस्क की नीलामी निगम के चार जोनों के लिए पृथक-पृथक होगी इसमें क्षेत्रों का विभाजन कियोस्क लगाने की सुविधा के लिए किया गया है। क्षेत्र की विस्तृत जानकारी के लिए मानचित्र का अवलोकन किया जा सकता है परन्तु चारदीवारी के अन्दर जयपुर शहर में किसी भी प्रकार का विज्ञापन कियोस्क नहीं लगाया जा सकेगा। जोनों के क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है:-

### हवामहल जोन (पूर्व):-

जयपुर शहर के अंदर का भाग जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, रामगंज बाजार, सूरजपोल बाजार, घाटगेट बाजार एवं परकोटे के अन्दर के भागों को छोड़ते हुए शेष परकोटे का बाहरी भाग घाटगेट से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक एवं ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से दिल्ली बाईपास, पुरानी चूँगी तिराहे तक एवं इसके अतिरिक्त जोन का बचा हुआ क्षेत्र का भाग शामिल है।

### मोतीझूगरी जोन :-

अजमेरी गेट से पूर्व की ओर एम.आई.रोड शामिल करते हुये आगरा रोड घाटगेट तक व इसके दक्षिण का भाग/घाटगेट से पूर्व की ओर आगरा रोड छोड़ते हुए इसका दक्षिण का भाग, इसमें गोविन्द मार्ग मोतीझूगरी रोड, जवाहर नगर, जनता कॉलोनी, आदर्श नगर, तिलक नगर आदि क्षेत्र शामिल है, अजमेरी गेट से दक्षिण की ओर टॉक रोड टॉक पुलिया शामिल एवं पूर्व का भाग शामिल है टॉक पुलिया से दिल्ली रेलवे लाईन तक दिल्ली की ओर सीमा तक तथा इसका उत्तरी ओर का भाग शामिल है। उक्त जोन क्षेत्र में बजाज नगर, गांधी नगर, मालवीय नगर केलगिरी हॉस्पिटल, जनता स्टोर का भाग शामिल है।

03. निम्न स्थानों पर कियोस्क बोर्ड नहीं लगाए जा सकेंगे।
  - (क) सर्किल के चारों ओर एवं बीच में लगे खम्बों पर।
  - (ख) पुराने जयपुर शहर की चार दिवारी क्षेत्र में लगे खम्बों पर।
  - (ग) राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु निषेध किया हुआ क्षेत्र यथा भगवानदास रोड (पांचबत्ती से विधान सभा तक) जे.एल.एन. रोड, भवानी सिंह रोड, (सिविल लाईन से रामबाग सर्किल) रामबाग सर्किल से गांधी नगर मोड़ एवं यहां से गांधी सर्किल तक का क्षेत्र।
04. खम्बों पर लगाये जाने वाले कियोस्क बोर्ड अधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा मजबूती के साथ सुरक्षा ध्यान में रखते हुए इस प्रकार लगाने होंगे कि जिससे आम जनता व अन्य किसी को क्षति ना पहुंचे यदि उसकी लापरवाही से किसी का नुकसान होगा तो उससे हर्ज-खर्च के लिए लाइसेन्सी स्वयं उत्तरदायित्व होगा नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
05. प्रत्येक कियोस्क बोर्ड की साईज लम्बाई 40 इंच एवं चौड़ाई 30 इंच होगी तथा क्लिप लगाकर खम्बे के दोनों ओर कियोस्क लगाये जा सकेंगे। कियोस्क खम्बे पर एक दूसरे के आगे पीछे लम्बवत लगाने होंगे।
06. खम्बों पर कियोस्क बोर्ड विद्युत चलित कम्प्यूटराईज्ड बोर्ड नहीं लगाया जावेगा।
07. जिन मार्गों पर खम्बे वर्तमान में दोनों तरफ लगे हुये हैं उन मार्गों पर बाद में खम्बे सड़क के बीच में लग जाते हैं तो सड़क के बीच में खम्बों पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी। वर्तमान में जहाँ खम्बे सड़क के बीच लगे हुये हैं उन पर ही लाइसेन्सी कियोस्क लगवा सकेगा वहा यदि सड़कों के दाये ओर बायें ओर खम्बे लगे भी हैं तो उन पर कियोस्क लगाना वर्जित होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर अथवा अस्थायी पोल पर कियोस्क लगाने की स्वीकृति नहीं होगी कियोस्क पर फिल्मी पोस्टर लगाना वर्जित होगा। बी.आर.टी.एस. रोड की ओर लगे विद्युत पोलों (बीच में लगे हुए) पर विज्ञापन नहीं किया जाकर रोड़ के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लगे हुए विद्युत पोलों पर विज्ञापन किया जा सकेगा।
08. खम्बों पर कियोस्क सड़क/डिवाइडर की सतह से न्यूनतम 8 फिट ऊँचा होगा। एक खम्बे पर आगे पिछे कुल दो विज्ञापन कियोस्क बोर्ड लगाए जा सकते हैं। लाइसेन्सी खम्बों व कियोस्क को साफ सुथरा रखेगा। तथा निगम की उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियों-2008 के अन्तर्गत विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। अश्लील व भडकीले तथा आपत्ति जनक विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णतया वर्जित होगा निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के विज्ञापन को बिना पूर्व सूचना के हटा दे। उसका हर्जा-खर्चा लाइसेन्सी से वसूल करे। खम्बे पर किसी प्रकार का कोई पोस्टर नहीं चिपकाया जावेगा ना ही कोई झंडे बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंगे प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जावेगे। यदि कोई पोस्टर झंडे बैनर पतंगे आदि लग जाये तो उसे लाइसेन्सी द्वारा तुरन्त हटवाया जावे।
09. कियोस्क लगाते या उतारते समय व लाइसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य कियोस्क को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. लाइसेन्सी जो कियोस्क बोर्ड बिजली के खम्बों पर लगाएगा उसके चोरी हो जाने, गुम हो, जाने व खम्बों की संख्या कम हो जाने इत्यादि की जिम्मेदारी लाइसेन्सी की होगी। नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा।
11. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि कियोस्क साईट्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साईट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाइसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे



- आंधी, तूफान आदि की स्थिति में कियोस्क नीचे नहीं गिरे। बसशैल्टर्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. कियोस्क लाईसेन्सी को स्वयं के खर्च पर लगाने होंगे तथा लाईसेन्सी की सम्पत्ति होगी एवं कियोस्क खम्बों पर एकरूपता से लगाने होंगे जिससे शहर की सुन्दरता बनी रहे। लाईसेन्स की अवधि खत्म होने पर 3 दिवस में कियोस्क हटाने होंगे अन्यथा हटाने का खर्चा लाईसेन्सी से अमानता में से वसूला जावेगा।
  13. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन रूपसे 1,00,000/- अक्षरे (एक लाख रुपये मात्र) प्रति जोन के कियोस्क की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जावेगी।
  14. ई-नीलामी के अंतिम 15 मिनट में कोई बोली आने पर ई-नीलामी समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 30 मिनट की वृद्धि हो जायेगी।
  15. 25 प्रतिशत राशि बोली समाप्ति के 24 घंटे के भीतर ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर कियोस्क (विजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी (वर्ष 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2022) के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष (01 नवम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2023) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी-होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
  16. शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी आदेश व निर्देश मान्य होंगे, जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी। जयपुर नगर निगम उपविधियों 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियों-2008 के प्रावधानों की भी पालना करनी होगी।
  17. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
  18. किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी।
  19. स्थान अथवा जोन सीमा विवाद होने पर लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी का निर्णय अंतिम होगा जो लाईसेन्सी को मान्य होगा।
  20. यदि किसी न्यायालय के निर्देश, सरकार द्वारा प्रतिबंधित रोड़ एवं यातायात में बाधक होने पर अथवा अन्य अड़चन/कारण के कियोस्क हटाना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को स्वयं के खर्च पर करना होगा। निगम में जमा राशि में से कियोस्क हटाने अथवा हटाने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा किसी प्रकार की राशि का रिफण्ड (पुनर्भरण) नहीं किया जायेगा एवं लाईसेंसधारी फर्म को नवीनीकरण शुल्क की पूर्ण राशि जमा करवानी होगी।
  21. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
  22. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा समस्त कियोस्क को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
  23. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी। इसके अभाव में लाईसेन्स अमान्य होगा।
  24. लाईसेंस समाप्ति पर कियोस्क खम्भे नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा कियोस्क के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर बसशैल्टर्स अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से बसशैल्टर्स का नगर निगम को भूगतान करना होगा।
  25. नीलामी में लिए गये कियोस्क के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
  26. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा।
  27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
  28. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

**लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)  
नगर निगम जयपुर**





# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण की शर्तें  
ई-नीलामी : अक्टूबर 2020

68

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (1 नवम्बर 2020 से 31 अक्टूबर 2021) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी सूची अनुसार निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन किये जाने की गुप वाईज शौचालयों की नीलामी की जायेगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता रूपये 30,000/- अक्षरे (तीस हजार रूपये मात्र) प्रति गुप निर्मित शौचालय पर निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जावेगी।
3. ई-नीलामी के अंतिम 15 मिनट में कोई बोली आने पर ई-नीलामी समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 30 मिनट की वृद्धि हो जायेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि बोली समाप्ति के 24 घंटे के भीतर निगम कोष में ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को मौका दिया जावेगा। द्वितीय बोलीदाता के असफल रहने पर निर्मित शौचालयों एवं संधारण की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
5. निगम सीमा में सूची अनुसार निर्मित शौचालयों की दीवार पर निर्धारित खाचों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्सी को अधिकार होगा। नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन, नशे के चित्र (संकेत या लिखित) विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
6. बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन एवं सीवर कनेक्शन कराने व बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
7. विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑर्थोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेन्सी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देवे।
8. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष (1 नवम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2023) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. निर्मित शौचालयों को लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य साइट्स को किसी प्रकार की क्षति नही पहुंचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
10. निगम द्वारा लाईसेन्सी को बिल/नोटिस भेजने के बाद यदि गणना, अवधि आदि में कोई त्रुटि रह जाती है तो निगम द्वारा की गई गणना, अवधि आदि किसी भी त्रुटि को लाईसेन्सिंग ऑर्थोरिटी द्वारा दुरस्त/सुधार कर, संशोधित बिल/नोटिस प्रेषित किया जायेगा जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी।
11. निर्मित शौचालयों पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव एवं सुन्दर रखने का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निर्मित शौचालयों पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा एवं इन्हें लाईसेन्सी द्वारा तुरंत हटाया जावेगा। यदि नहीं हटायेगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
12. लाईसेन्स अवधि में निर्मित शौचालयों व संधारण की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। निर्मित शौचालयों पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर दिया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शौचालय में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्चे पर ठीक



- करवाना होगा। शौचालयों का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंस का होगा। निर्मित शौचालयों का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंस की होगी।
13. निर्मित शौचालयों में शौचालय/बाथरूम/यूनिट व अन्य सामान की देखभाल, टूट-फूट व रख-रखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा। लाईसेन्स अवधि के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंस द्वारा स्वयं के हर्जे-खर्चे पर ठीक कराना होगा। शौचालयों की सुविधाओं को दुरुस्त हालत में रखना होगा। कोई सामान इत्यादि चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंस की होगी। अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (निर्मित शौचालय सही हालत में) होने का प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) नगर निगम जयपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर लाईसेंस को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
  14. लाईसेन्सधारी को प्रत्येक 3 (तीन) माह में जोन उपायुक्त या अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) से निर्मित शौचालयों को सही हालात में रख-रखाव करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  15. निर्मित शौचालयों का बंद होने व खुलने का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित अनुसार होगा जो प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक से कम नहीं होगा।
  16. निर्मित शौचालयों पर उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित शुल्क शौचालय उपयोग के लिए 2/- ₹. व बाथरूम के उपयोग के लिए 5/- ₹. होगा एवं यूनिट का कोई शुल्क नहीं होगा। निर्धारित शुल्क की दरों को निर्मित शौचालयों पर पठनीय स्थल पर दिखता हुआ लगाना अनिवार्य होगा।
  17. निर्मित शौचालयों का संधारण एवं रख रखाव प्रतिदिन करना होगा जिसमें रोजाना टॉयलेट की सफाई, यूनिट फर्श व दीवारें, छत एवं अन्दर की व बाहरी दीवारों की नियमित सफाई करनी होगी। सफाई के लिए फनाईल, नेपथीलीन वॉल का उपयोग करना होगा साथ ही टॉयलेट में साबुन, टावल व हाथ सुखाने के लिए डायर की व्यवस्था करनी होगी। उपायुक्त (राजस्व), उपायुक्त (स्वास्थ्य) या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्मित शौचालयों का निरीक्षण उपरान्त उपरोक्त अनुसार सफाई नहीं होने पर उनके द्वारा प्रतिवेदन पर बोलीदाता की जमा अमानता राशि से 500 ₹. प्रतिदिन की दर से कटौती करने बाबत आदेश जारी करने का अधिकार लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी, नगर निगम जयपुर का होगा। शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर लाईसेन्स, लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी, द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। शौचालयों पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखेगा।
  18. निर्मित शौचालयों पर संधारणकर्ता फर्म का नाम एवं नगर निगम जयपुर का नाम एवं लोगो अंकित करना अनिवार्य होगा।
  19. फर्म द्वारा निर्धारित विज्ञापन स्थल के अलावा निर्मित शौचालयों पर अंदर व बाहरी दीवारों पर अन्य कोई भी विज्ञापन, पोस्टर, स्टेच्यू व अन्य प्रचार विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा और ना ही करने देगा।
  20. निर्मित शौचालयों में किसी भी प्रकार का ताशपत्ती व अन्य खेल नहीं करेगा और ना ही करने देगा।
  21. लाईसेंस किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी फर्म को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
  22. लाईसेंस/फर्म निर्मित शौचालयों का आवासीय उपयोग नहीं करेगा एवं जानवर/वाहन पार्किंग इत्यादि के लिए निर्मित शौचालय के बाहर व अन्दर उपयोग नहीं करेगा।
  23. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
  24. जनहित/यातायात में बाधा होने पर अथवा BRTS/जयपुर मेट्रो परियोजना के कारण निर्मित शौचालयों को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा।
  25. अगर शर्त संख्या 21 अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
  26. किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी।
  27. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
  28. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
  29. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंस को ही करना होगा।
  30. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)  
नगर निगम जयपुर



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

70



## ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें ई- नीलामी : अक्टूबर 2020

- नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-
1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर 25 साइटों के समूह के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
  2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइटों की ई-ऑक्शन एक वर्ष (01 नवम्बर 2020 से 31 अक्टूबर 2021) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापित कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
  3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्सी को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर दो तरफ विज्ञापन एवं एक तरफ नगर निगम का स्लोगन लगाना होगा।
  4. 25 साइटों के समूह के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर के लिए रुपये 5,00,000 (पाँच लाख रुपये) बतौर अमानता के रूप में ऑनलाईन जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि बोली समाप्ति घोषणा के 24 घंटों के भीतर ऑनलाईन/ऑफलाईन निगम में जमा कराने होंगे एवं अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
  5. ई-नीलामी का निर्धारित समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक रहेगा। अंतिम 15 मिनट में संवेदक/फर्म द्वारा बोली दिये जाने पर ई-नीलामी की समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 30 मिनट की वृद्धि हो जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा मध्य रात्रि 12.00 बजे तक की ही होगी।
  6. नीलामी के पश्चात् साइटों की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि बोली समाप्ति के 24 घंटों के भीतर निगम कोष में ऑनलाईन जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
  7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी.राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 नवम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
  8. ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं।) ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
  9. ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर पर विज्ञापन लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य साइट्स को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
  10. ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
  11. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
  12. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नीचे नहीं गिरे। ट्रेन्सलाईट



- बैकलिट टॉवर 6 मीटर गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
  14. लाईसेन्स अवधि में ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
  15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
  16. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
  17. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
  18. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
  19. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
  20. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
  21. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
  22. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
  23. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
  24. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर सही हालत में होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
  25. लाईसेंस समाप्ति पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर का नगर निगम को भुगतान करना होगा।
  26. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त राजस्व-प्रथम (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
  27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
  28. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)  
नगर निगम जयपुर





# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

72

## नये ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर

### ई-नीलामी : अक्टूबर 2020

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर 15 साइटों के समूह के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 नवम्बर 2020 से 31 अक्टूबर 2021) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापित कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्सी को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर दो तरफ विज्ञापन एवं एक तरफ नगर निगम का स्लोगन लगाना होगा।
4. 15 साइटों के समूह के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर के लिए रुपये 3,00,000 (तीन लाख रुपये) बतौर अमानता के रूप में ऑनलाईन निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि बोली समाप्ति घोषणा के 24 घंटों के भीतर ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा कराने होंगे एवं अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
5. ई-नीलामी का निर्धारित समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक रहेगा। अंतिम 15 मिनट में संवेदक/फर्म द्वारा बोली दिये जाने पर ई-नीलामी की समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 30 मिनट की वृद्धि हो जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा मध्य रात्रि 12.00 बजे तक की ही होगी।
6. नीलामी के पश्चात् साइटों की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि बोली समाप्ति के 24 घंटों के भीतर निगम कोष में ऑनलाईन जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 नवम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं) ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।



9. ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
10. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
11. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नीचे नहीं गिरे। ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
13. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
14. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
15. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्चे लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
16. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
17. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
18. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लें। सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
19. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
21. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर सही हालत में होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
22. लाईसेंस समाप्ति पर ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी
23. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
25. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

**लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)**  
**नगर निगम जयपुर**





# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

74

नये लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) साईज 8'X4'

ई-नीलामी : अक्टूबर 2020

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की ई-ऑक्शन एवं लाईसेन्स की शर्त :-

1. नगर निगम सीमा में आने वाले 50 लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एकजाई-एकमुश्त की जायेगी ।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड ( यूनिपोल ) की नीलामी एक वर्ष (1 नवम्बर 2020 से 31 अक्टूबर 2021) तक के लिए की जावेगी, जिसकी साईज 8'X4' फीट स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापित कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी । नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।
3. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के लिए एक लाख रुपये बतौर अमानता के रूप में ऑनलाईन नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। असफल बोलीदाता को अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जावेगी।
4. नीलामी के पश्चात् लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता की बोली समाप्ति की घोषणा के बाद 24 घंटों के ऑनलाईन/ऑफलाईन भीतर निगम कोष में जमा करानी होगी । इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा ।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा । नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी । आगामी वर्ष (1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2022) के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाले राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष (1 नवम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2023) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी ।
6. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीलामी किये जाने के पश्चात् लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी । नगर निगम लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में सहयोग करेगा एवं लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा ।
8. बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नहीं लगायेगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा । अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी । अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) से अनुज्ञापत्रधारी के लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा ।
9. लाईसेंस अवधि समाप्ति पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा ।
10. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा ।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से इन लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) का निर्माण करना होगा एवं उसी के अनुरूप इनका संधारण (रखरखाव) किया जावेगा । कोई भी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर डबल साईड विज्ञापन नहीं होगा ।
12. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन, नियोन अथवा चलित बोर्ड, फिल्मी पोस्टर आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा ।



13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर अपनी फर्म का नाम एवं साइट नम्बर, लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा । ऐसा न करने पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा ।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तुफान आदि की स्थिति में लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीचे नहीं गिरे । अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा । स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी । नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी जयपुर नगर निगम जयपुर, विज्ञापन विधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे ।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा । इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा ।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घन्टे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी ।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा ।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो उसका वहन लाईसेंस को ही करना होगा ।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पब्लिक रिकवरी एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा ।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी ।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा ।
25. अगर कोई लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
26. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा ।
27. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय निगम विज्ञापन समिति का होगा जो मान्य होगा ।
28. सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) एकरूपता से होंगे । भूमि/फुटपाथ की सतह से सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की ऊँचाई 7 फुट होगी । साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा ।

**लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)  
नगर निगम जयपुर**





# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

76

## टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें ई- नीलामी : मार्च 2020 अपडेट

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट साइटों के लिए (1) रामबाग सर्किल, भवानी सिंह रोड के पास (2) गोविन्द मार्ग, भगत सिंह पार्क के सामने, दों साइटों के समूह के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापित कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्स को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। निर्मित टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन किया जा सकेगा, जिसमें दो तरफ विज्ञापन एवं एक तरफ नगर निगम का स्लोगन लगाना होगा।
4. दों साइटों के समूह टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट के लिए रुपये 75,000/- (पिचतर हजार रुपये) बतौर अमानता के रूप में ऑनलाईन निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि बोली समाप्ति घोषणा के 24 घंटों के भीतर ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
5. ई-नीलामी के अंतिम 15 मिनट में कोई बोली आने पर ई-नीलामी समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 30 मिनट की वृद्धि हो जायेगी।
6. नीलामी के पश्चात् साइटों की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि बोली समाप्ति के 24 घंटों के भीतर निगम कोष में ऑनलाईन जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष के लिए टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट साइटों का (01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष के लिए टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट साइटों का नवीनीकरण (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
8. टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं।) टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
9. टॉलेस्ट क्रियेटेड टॉवर पर विज्ञापन लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य साईट्स को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
11. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट को सही हालत में रखना होगा। एवं प्रत्येक टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट,



12

- साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट नीचे नहीं गिरे। टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
  14. लाईसेन्स अवधि में टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना होगा। टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट का स्ट्रक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
  15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
  16. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
  17. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
  18. विजली कनेक्शन व विल का भुगतान एवं अन्य खर्चे लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
  19. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
  20. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
  21. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
  22. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
  23. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
  24. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना ( टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
  25. लाईसेंस समाप्ति पर टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर डिजिटल यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवरटाईजमेन्ट पोस्ट का नगर निगम को भूगतान करना होगा।
  26. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व-प्रथम (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
  27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
  28. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

**लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)**  
**नगर निगम जयपुर**



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)



## 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें ई-नीलामी : मार्च 2020 अपडेट

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगा हुआ 14'x7' वर्गफुट का निर्मित यूनियोपल्स की ई-ऑक्शन लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल साइटों के लिए ई-ऑक्शन सूची अनुसार पृथक-पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल साइटों की ई-ऑक्शन एक वर्ष (01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जायेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापित कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। ई-ऑक्शन एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्स को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
4. प्रत्येक 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल के लिए रूपये 20,000/- (बीस हजार रूपये) बतौर अमानता के रूप में ऑनलाईन निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि बोली समाप्ति घोषणा के 24 घंटों के भीतर ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा कराने होंगे एवं अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
5. ई-नीलामी के अंतिम 15 मिनट में कोई बोली आने पर ई-नीलामी समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 30 मिनट की वृद्धि हो जायेगी।
6. नीलामी के पश्चात् साइटों की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि बोली समाप्ति के 24 घंटों के भीतर निगम कोष में ऑनलाईन जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जीएसटी टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जीएसटी टैक्स राशि जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जीएसटी टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं) 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
9. निर्मित यूनियोपल 14x7 पर विज्ञापन लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य साइट्स को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
11. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा। एवं प्रत्येक 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर 14'x7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।



12. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
14. लाईसेन्स अवधि में 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
16. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
17. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
18. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
19. ई-ऑक्शन में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
20. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
21. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
22. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
23. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
24. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल सही हालत में होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। ई-ऑक्शन शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
25. लाईसेंस समाप्ति पर 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का नगर निगम को भुगतान करना होगा।
26. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व-प्रथम) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
28. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

**लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)  
नगर निगम जयपुर**



# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

80



## डिजिटल यूनिपोल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें, ई-नीलामी :मई 2020 अपडेट

नगर निगम जयपुर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित डिजिटल यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की ई-ऑक्शन एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित डिजिटल यूनिपोल साइटों के लिए ई-ऑक्शन सूची अनुसार 25 साइटों के समूह के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए डिजिटल यूनिपोल साइटों का ई-ऑक्शन एक वर्ष (01 जून 2019 से 31 मई 2020) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापित कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए डिजिटल यूनिपोल पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्स को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। निर्मित डिजिटल यूनिपोल में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं निर्धारित स्थल पर डिजिटल वॉच का प्रदर्शित करना होगा। जिसमें समय, दिनांक, वार एवं तापमान दिखाया जाना आवश्यक होगा।
4. 25 साइटों के समूह डिजिटल यूनिपोलों के लिए रूपये 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) बतौर अमानता के रूप में ऑनलाईन निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि बोली समाप्ति घोषणा के 24 घंटों के भीतर ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा कराने होंगे एवं अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
5. ई-नीलामी के अंतिम 15 मिनट में कोई बोली आने पर ई-नीलामी समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 30 मिनट की वृद्धि हो जायेगी।
6. नीलामी के पश्चात् साइटों की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि बोली समाप्ति के 24 घंटों के भीतर निगम कोष में ऑनलाईन जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर निर्मित डिजिटल यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जीएसटी टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जून 2020 से 31 मई 2021 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जीएसटी टैक्स राशि जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 जून 2021 से 31 मई 2022 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जीएसटी टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. डिजिटल यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं।) डिजिटल यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के डिजिटल यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
9. डिजिटल यूनिपोल पर विज्ञापन लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य साइट्स को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. डिजिटल यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
10. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक डिजिटल यूनिपोल पर सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा एवं प्रत्येक डिजिटल यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर डिजिटल यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।



11. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में डिजिटल यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। डिजिटल यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
13. लाईसेन्स अवधि में डिजिटल यूनिपोल की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। डिजिटल यूनिपोल विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी डिजिटल यूनिपोल में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना होगा। डिजिटल यूनिपोल का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। डिजिटल यूनिपोल का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
14. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
15. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के डिजिटल यूनिपोल मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
16. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
17. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्चे लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
18. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
19. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
20. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
21. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी डिजिटल यूनिपोल साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
22. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
23. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (डिजिटल यूनिपोल सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
24. लाईसेंस समाप्ति पर डिजिटल यूनिपोल नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा डिजिटल यूनिपोल के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर डिजिटल यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से डिजिटल यूनिपोल का नगर निगम को भुगतान करना होगा।
25. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
27. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

**लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)**  
**नगर निगम जयपुर**





# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

82

## बस शैल्टर्स की शर्तें

### ई-नीलामी : मार्च 2020 अपडेट

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए बस शैल्टर्स पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. बसशैल्टर्स की नीलामी रोड़ वार्डज (एक समूह में) सूची अनुसार की जायेगी। विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 सितम्बर 2019 से 31 अगस्त 2020 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. ई-ऑक्शन में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन राशि रूपये 25,000/- अक्षरे (पच्चीस हजार रूपये मात्र) बसशैल्टर्स रोड़ वार्डज अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 1/4 राशि ऑनलाईन/ऑफलाईन निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा बस शैल्टर्स की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे बस शैल्टर पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित बस शैल्टर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं निर्धारित स्थल पर जयपुर सिटी का मानचित्र प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
6. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेन्सी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर बसशैल्टर्स पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। ई-नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जीएसटी टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 सितम्बर 2020 से 31 अगस्त 2021 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जीएसटी टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 सितम्बर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जीएसटी टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जीएसटी टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी।
8. बस शैल्टर पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा, इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बस शैल्टर्स पर किसी व्यक्ति/फर्म/संस्थान द्वारा पोस्टर चिपकाने पर बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जाने पर, उसे लगे ही तुरंत हटाने की जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी, यदि लाईसेंसी द्वारा तुरंत नहीं हटवाये जाते हैं तो नगर निगम द्वारा हटवाये जाने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित किया गया हर्जा-खर्चा लाईसेंसी को नगर निगम जयपुर कोष में तुरंत जमा कराना होगा। हर्जा-खर्चा तुरंत जमा नहीं कराने की दशा में, जमा अमानत राशि में से कटौती कर ली जायेगी।
9. बसशैल्टर्स पर विज्ञापन लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य साईट्स को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. लाईसेन्स अवधि में बस शैल्टर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। बस शैल्टर्स विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां हैं जैसी स्थिति में हैं की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शैल्टर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना होगा। शैल्टर्स का स्ट्रक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। बस शैल्टर का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।
11. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि बसशैल्टर्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साईट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में बसशैल्टर्स नीचे नहीं गिरे। बसशैल्टर्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी



- राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. लाइसेंस अवधि समाप्ति तक लाइसेंस को सभी शर्तों की पालना करनी होगी व ठेका अवधि समाप्ति पर बसशैल्टर सही हालत में सुपुर्द करने होंगे। लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना लाइसेंस द्वारा किये जाने पर, जमा अमानता राशि लाइसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर जमा अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
  13. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
  14. जनहित/यातायात में बाधक होने पर बस शैल्टर को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाइसेंस द्वारा अपने खर्च पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाइसेन्सी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा। 15 दिन के नोटिस पर लाइसेन्सी को बस शैल्टर शिफ्ट करना होगा।
  15. अगर कोई बस शैल्टर जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
  16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाइसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
  17. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी. आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
  18. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
  19. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाइसेंस को ही करना होगा।
  20. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
  21. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाइसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
  22. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाइसेंस को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाइसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
  23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
  24. लाइसेंस समाप्ति पर बसशैल्टर्स नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाइसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा बसशैल्टर्स के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर बसशैल्टर्स अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से बसशैल्टर्स का नगर निगम को भूगतान करना होगा।
  25. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व शर्तों का अवलोकन कर लेवे सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
  26. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाइसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
  27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
  28. लाइसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

**लाइसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)**  
**नगर निगम जयपुर**





# कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

83

## ऐलिवेटेड रोड़ बेस कॉलम (ऐलिवेटेड रोड़ के खम्बे) (फेज-II) एक समूह में विज्ञापन नीलामी की शर्त- मई 2018

नगर निगम क्षेत्र में टॉक रोड़, दुर्गापुरा पर बने हुए ऐलिवेटेड रोड़ बेस कॉलम (ऐलिवेटेड के खम्बे) (टॉक रोड़, दुर्गापुरा तक) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (1 जून 2018 से 31 मई 2019) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को अमानता राशि 1,00,000/- रु. निगम कोष में ऑनलाईन जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि 24 घंटों के भीतर निगम कोष में ऑनलाईन जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा ऐलिवेटेड रोड़ बेस कॉलम (ऐलिवेटेड रोड़ के खम्बे) की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. ऐलिवेटेड रोड़ के नीचे बेस कॉलम्स (47 खम्बों) 37 खम्बों पर दोनो और विज्ञापन व 1 खम्बे पर 1 तरफ तथा पांच खम्बों पर 3 तरफ विज्ञापन किया जा सकेगा लेकिन लाईसेंसी का यह दायित्व रहेगा कि स्वीकृत खम्बों के अतिरिक्त अन्य खम्बों पर विज्ञापन नहीं करे एवं अन्य किसी को भी विज्ञापन नहीं करने देवे, अवैध पोस्टर्स, बैनर्स, वॉलपेंटिंग भी नहीं होने देवे, किसी के द्वारा उक्त तरह अथवा अन्य तरह से अवैध विज्ञापन करने पर लाईसेंसी द्वारा अवैध विज्ञापनों को हटवाया जायेगा/खम्बों को पुतवाया जायेगा। खम्बों को मूल स्वरूप में रखने की जिम्मेदारी भी संबंधित लाईसेंसी की ही होगी। विज्ञापन बोर्डों की सुरक्षा एवं संधारण की जिम्मेदारी भी संबंधित लाईसेंसी की होगी।
5. ई-नीलामी के अंतिम 15 मिनट में कोई बोली आने पर ई-नीलामी समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 30 मिनट की वृद्धि हो जायेगी।
5. निगम सीमा में लगे ऐलिवेटेड रोड़ बेस कॉलम (ऐलिवेटेड रोड़ के खम्बे) पर 8'x'4 का विज्ञापन किया जा सकेगा। निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित साईज से अधिक विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा, ऐलिवेटेड रोड़ बेस कॉलम (ऐलिवेटेड रोड़ के खम्बे) पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा। ऐलिवेटेड रोड़ टॉक रोड़ दुर्गापुरा तक होगा।
6. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से ऐलिवेटेड रोड़ बेस कॉलम ऐलिवेटेड रोड़ के खम्बों पर विज्ञापन करने से पूर्व डिजाईन व स्पेशिफिकेशन सहायक नगर नियोजक (होर्डिंग), नगर निगम जयपुर से स्वीकृत करवाना होगा तत्पश्चात् ही विज्ञापन बोर्ड लगाया जा सकेगा।
7. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेंसी को वहन करना होगा।
8. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
9. 25 प्रतिशत राशि बोली समाप्ति के 24 घंटों के भीतर ऑनलाईन जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ऐलिवेटेड रोड़ बेस कॉलम (ऐलिवेटेड रोड़ के खम्बे) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र/राज्य सरकार की जी.एस.टी./तत्समय प्रभावी टैक्स राशि का चैक लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष (1 जून 2019 से 31 मई 2020) के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र/राज्य सरकार की जी.एस.टी./तत्समय प्रभावी टैक्स राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष (1 जून 2020 से 31 मई 2021) के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र/राज्य सरकार की जी.एस.टी./तत्समय प्रभावी टैक्स राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी।



10. ऐलिवेटेड रोड बेस कॉलम (ऐलिवेटेड रोड के खम्बे) पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐलिवेटेड रोड बेस कॉलम (ऐलिवेटेड रोड के खम्बे) पर किसी प्रकार का पोस्टर/बैनर्स/छोटे बोर्ड/पतंग/प्लास्टिक बोर्ड आदि लगे होने पर लाईसेंसधारी द्वारा हटाया जावेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
11. ऐलिवेटेड रोड के नीचे बेस कॉलम्स (47 खम्बों) 37 खम्बों पर दोनो और विज्ञापन व 1 खम्बे पर 1 तरफ तथा पांच खम्बों पर 3 तरफ विज्ञापन किया जा सकेगा
12. विज्ञापन ग्लोसाईन प्रकार का होगा जिसकी डिजाईन नगर निगम जयपुर से स्वीकृत कराना होगा।
13. रोड क्रॉसिंग पर लगी ट्रैफिक लाईट के पीछे खम्बे पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। उक्त खम्बे के साईड में विज्ञापन किया सकेगा।
14. लाईसेन्स अवधि में ऐलिवेटेड रोड बेस कॉलम (ऐलिवेटेड रोड के खम्बे) पर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव की जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ऐलिवेटेड रोड बेस कॉलम ऐलिवेटेड रोड के खम्बे) पर किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना होगा। समस्त ऐलिवेटेड रोड का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। ऐलिवेटेड रोड बेस कॉलम (ऐलिवेटेड रोड के खम्बे) पर विज्ञापन से संबंधित सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
15. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
16. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐलिवेटेड रोड बेस कॉलम (ऐलिवेटेड रोड के खम्बे) को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में ऐलिवेटेड रोड बेस कॉलम (ऐलिवेटेड रोड के खम्बे) नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ऐलिवेटेड रोड बेस कॉलम (ऐलिवेटेड रोड के खम्बे) की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साईट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। ऐलिवेटेड रोड बेस कॉलम (ऐलिवेटेड रोड के खम्बे) गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
18. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/सरकार/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी विज्ञापन को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो लाईसेन्सी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा व इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति नगर निगम द्वारा नहीं की जावेगी।
19. किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर का निर्णय अंतिम व सभी को मान्य होगा।
20. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 यापी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
21. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।

**लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)**  
**नगर निगम जयपुर**